सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2013-14

ध्येय : सभी के लिए खाद्य सुरक्षा

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान

उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2013–14

- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
- उपभोक्ता मामले विभाग

अनुक्रम

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1
2	विभाग की स्थापना	1
3	कार्य संपादन	2
4	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली	2
4	खाद्य सुरक्षा योजना	3
5	राशन कार्ड	4
6	आवश्यक वस्तुओं का आबंटन, मापदण्ड एवं मूल्य	5
7	विभाग के अभिनव कार्य एवं योजनाएं	6
8	चीनी	9
9	केरोसीन	9
10	एलपीजी	10
11	उचित मूल्य दुकानों का आवंटन	11
12	आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही	18
13	उपभोक्ता मामले विभाग	19–21
14	वास्तविक आय–व्यय एवं संशोधित प्रावधान	22
15	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि.	23–32
16	परिशिष्ठ 1 से 9	33–44

प्रस्तावना

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के इस प्रदेश में अधिकांश भाग रेगिस्तानी और कम वर्षा वाला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 685.48 लाख है। इस जनसंख्या में 515.00 लाख ग्रामीण और 170.48 लाख शहरी क्षेत्र की जनसंख्या सम्मिलित है। राज्य के सभी श्रेणी के परिवारों, यथा– बीपीएल, एपीएल, अन्त्योदय आदि के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन राज्य में आरंभ से ही किया जा रहा है।

देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उदग़म 1960 के दशक में हुई खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी से कमी वाले शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्नों का वितरण करने पर ध्यान केन्द्रित करके हुआ था। इसके बाद हरित क्रांति के अंतर्गत चूंकि राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी, इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार 1970 और 1980 के दशकों में आदिवासी ब्लाकों और अत्यधिक गरीबी वाले क्षेत्रों के लिए किया गया था। वर्ष 1992 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली विशेष लक्ष्यों के बगैर सभी उपभोक्ताओं के लिए एक सामान्य पात्रता योजना थी। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून, 1992 में सम्पूर्ण देश में प्रारंभ की गयी थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून, 1997 में प्रारंभ की गई थी।

विभाग की स्थापना

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबंधन एवं उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का सफलतापूर्वक वितरण सुनिश्चित करने के लिए विभाग की स्थापना की गई । पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्यान्न अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई और बल्क आवंटन करने की जिम्मेदारी ले रखी है। राज्य के अंदर आवंटन, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने सहित प्रचलनात्मक जिम्मेदारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की है।

राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 लागू करने के साथ ही राज्य में भी वर्ष 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कार्य भी सम्पादित किए जा रहे हैं। दिनांक 21 जून, 2001 को विभाग का नाम खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग किया गया। कालान्तर में मंत्रीमण्डल की आज्ञा 205/2013 के क्रम में अंकित खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से ''उपभोक्ता मामले विभाग'' को पृथक किये जाने के लिए राजस्थान कार्यविधि नियमों में संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया व अनुमोदित प्रारूप के अनुसार मंत्रीमण्डल सचिवालय द्वारा क्रमांक एफ 27(1)केबिनेट/2013 दिनांक 26.09.2013 को अधिसूचना जारी कर दी गई।

कार्य संपादन

उपरोक्त उद्धेश्यों की प्राप्ति के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किये जाते हैं :–

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

- भारत सरकार से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण योग्य आवश्यक वस्तुओं का राज्य की माँग के अनुरूप आवंटन प्राप्त करना एवं आवंटित वस्तुओं को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निर्धारित दरों पर उपभोक्ताओं को वितरण करना
- समर्थन मूल्य नीति के अन्तर्गत खाद्यान्नों, यथा– गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा व धान (पैडी) की खुले बाजार में कीमत निर्धारित मूल्यों से कम होने पर किसानों के हित में भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से क्रय करने में सहयोग करना
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं इसके अन्तर्गत प्रसारित विभिन्न आदेशों के प्रवर्तन व कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के आदेश के अन्तर्गत जमाखोरी व कालाबाजारी के विरूद्ध कार्यवाही करना

उपभोक्ता मामले विभाग

- उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए गठित राज्य आयोग एवं जिला मंचों की प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी कार्य करना
- उपभोक्ता आन्दोलन को गति देने संबंधी कार्य करना
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन
- राज्य उपभोक्ता हेल्पलाईन का संचालन
- राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष का संचालन
- उपभोक्ता क्लबों का संचालन
- राष्ट्रीय एवं विश्व उपभोक्ता दिवस का आयोजन
- उपभोक्ता साहित्य का मुद्रण एवं प्रबंधन

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्नों की पहुँच सुनिश्चित करने में पर्याप्त रूप से योगदान दिया है। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बाद वर्ष 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रमुख रूप से निम्न उद्धेश्य है :–

- आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखना।
- कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गो को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य में गेहूँ, चावल, चीनी एवं केरोसीन तेल उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किये जाते हैं। उक्त वस्तुयें निर्धारित मात्रा में निश्चित मूल्य लेकर उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के आधार पर दी जाती हैं। भारत सरकार से खाद्यान्न आवंटित किए जाने के आदेशों के पश्चात राज्य के जिलों हेतु खाद्यान्न नियत अवधि में उठाव व्यवस्था के साथ उप आवंटन जारी किया जाता है। जिलों में जिला कलक्टर्स द्वारा तहसील/पंचायत समिति अनुसार किये गये आवंटन के आधार पर आवंटित सामग्री संबंधित उचित मूल्य दुकान तक पहुंचाई जाती हैं।

आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए राज्य में कुल 25703 उचित मूल्य की दुकानें स्थापित हैं, जिनमें से 6203 शहरी क्षेत्र में एवं 19500 दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं। जिलेवार उचित मूल्य दुकानों की सूचना **परिशिष्ट– "1"** पर अंकित हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु राज्य में राशन टिकिट व्यवस्था लागू की गई है ताकि खाद्य सामग्री की लाभार्थी तक पहुँच सुनिश्चित हो सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 2013–14 में विभिन्न खाद्यान्न योजनाओं में अप्रैल, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक आवंटन–उठाव **परिशिष्ट–"2"** पर अंकित है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्थान पर वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के क्रियान्वयन से इस प्रणाली का स्वरूप परिवर्तित हुआ है और अधिनियम के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एक अधिकार बन गया है।

खाद्य सुरक्षा योजना

राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के अन्तर्गत राज्य में 02 अक्टूबर,2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारम्भ किया गया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के तहत शहरी क्षेत्र में 53 प्रतिशत जनसंख्या तथा ग्रामीण क्षेत्र में 69 प्रतिशत जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हुए राज्य के पात्र लाभार्थियों के लिये प्रतिमाह 2,32,631 मै.टन गेहूं आवंटित किया जा रहा है, जिसे सभी चयनित/पात्र लाभार्थियों में वितरित किया जा रहा है। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत राज्य के लगभग 531 लाख व्यक्तियों का चयन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्त्योदय परिवारों, अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत चयनित व्यक्तियों, पेन्शनधारी, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष के लाभार्थियों, समस्त सरकारी

हॉस्टल के अन्तःवासी, बन्धुआ मजदूर, निर्माण श्रमिक, धरेलू श्रमिक, लधु एवं सीमान्त कृषक इत्यादि को लाभ दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों हेतु 2.00 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा की पालना में अन्त्योदय, बी.पी.एल. एवं स्टेट बी.पी.एल. परिवारों को 1.00 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से नियंत्रित गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है।

राशन कार्ड

राज्य में पृथक–पृथक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये पृथक–पृथक रंगों के राशन कार्ड दिये जाने की व्यवस्था है।

योजना (परिवार)	राशन कार्ड का रंग	योजना की पात्रता (योग्यता)
1– एपीएल क– डबल गैस सिलेण्डरधारक ख– सिंगल गैस सिलेण्डरधारक	सफेद बार्डर पीकोक नीला	सामान्य उपभोक्ता
2– बीपीएल	सफेद बार्डर गुलाबी	ग्राम सभा/नगर निगम/नगरपालिका द्वारा चयनित बीपीएल परिवार।
3– स्टेट बीपीएल	सफेद बार्डर हरा	ग्राम सभा/नगर निगम/नगरपालिका द्वारा चयनित स्टेट बीपीएल परिवार।
4– अन्त्योदय अन्न योजना	सफेद बार्डर पीला	ग्राम सभा/नगर निगम/नगरपालिका द्वारा चयनित अन्त्योदय अन्न परिवार
5– अन्नपूर्णा योजना	पूरा गुलाबी	ग्राम सभा/नगर निगम/नगरपालिका द्वारा चयनित अन्नपूर्णा परिवार

लाभार्थियों की श्रेणीवार संख्या निम्नानुसार है :–

- एपीएल : 127.87 लाख
- बीपीएल : 18.27 लाख
- स्टेट बीपीएल : 11.24 लाख
- अन्त्योदय अन्न योजना : 9.32 लाख
- अन्नपूर्णा : 1.05 लाख

लाभार्थियों का श्रेणीवार/जिलेवार विवरण परिशिष्ट–"3" पर अंकित है।

नवीन कम्प्युटराइज्ड एवं डिजिटाइज्ड राशन कार्ड

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य सरकार की प्रतिबद्वता एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्युटरीकरण के कार्य के अन्तर्गत राज्य में कम्प्युटराइज्ड एवं डिजिटाइज्ड राशनकार्ड का कार्य किया जा रहा है। सम्पूर्ण राज्य में डिजिटाइज्ड एवं कम्प्युटराइज्ड राशनकार्ड तैयार किये जाकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 97(6)खा.वि./सा.वि.प्र./2010–पार्ट–2 दिनांक 01.06.2012 से सभी जिला कलक्टर्स/ जिला रसद अधिकारियों को दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके है।

राशनकार्ड अभियान–2012 के अन्तर्गत राज्य के लगभग 1.75 करोड उपभोक्ताओं को अलग–अलग श्रेणी यथा बीपीएल, अन्त्योदय अन्न योजना, स्टेट बीपीएल, एपीएल एवं अन्नपूर्णा योजनाओं के अलग–अलग रंगों के डिजिटाईज्ड राशनकार्ड उपलब्ध कराये जायेगें। राशनकार्ड के कम्प्युटराइज्ड एवं डिजिटराइज्ड कार्य हेतु राज्य स्तर पर ई–निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाकर जिलों के लिए 11 कम्प्यूटर सेवा प्रदाता एजेन्सी/ फर्म का चयन किया गया है। इन चयनित फर्मो द्वारा जिला कलक्टर के सम्मुख उपस्थित होकर अपना अनुबन्ध निष्पादित किया जा चुका है। जिले के लिए नियुक्त प्रगणकों द्वारा आवेदकों को राशनकार्ड आवेदन फार्म वितरण पश्चात भरे हुए प्राप्त आवेदन फार्मो को जांच पश्चात प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जिले के लिए चयनित कम्प्यूटर सेवा प्रदाता एजेन्सीज/फर्म को भरे हुए आवेदन फार्मो का विवरण स्केनिंग एवं डेटा फिडिंग कार्य किये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये है जिसका सभी जिलों में स्केनिंग एवं डेटा फिडिंग का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। विभिन्न जिलों में तैयार राशन कार्डो के वितरण का कार्य किया जा रहा तथा सभी जिलों में शत् प्रतिशत राशन कार्डो के वितरण का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जावेंगा। वर्तमान में सम्पूर्ण राज्य में लगभग 52 प्रतिशत तैयार नवीन राशन कार्डो का वितरण किया जा चुका है।

आवश्यक वस्तुओं का आवंटन, मापदण्ड एवं मूल्य

राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विभिन्न श्रेणी के लाभार्थियों को निम्नानुसार खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है :–

1. राज्य के बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों (लाभार्थियों) को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के अन्तर्गत 05 किलोग्राम प्रति यूनिट (न्यूनतम 25 किलोग्राम प्रति परिवार) गेहूँ 1.00 रूपये प्रतिकिग्रा. (बजट घोषणा अनुसार) की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।
2. अन्त्योदय परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के अन्तर्गत 35 किलोग्राम प्रति परिवार गेहूँ 1.00 रूपये प्रतिकिग्रा. (बजट घोषणा अनुसार) की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अन्य पात्र परिवारों (लाभार्थियों) को 05 किलोग्राम प्रति यूनिट 2.00 रूपये प्रतिकिग्रा. की दर से गेहूँ उपलब्ध कराया जा रहा है।
4. बीपीएल परिवारों (अन्त्योदय अन्न योजना चयनित परिवारों सहित) को चीनी 500 ग्राम प्रति ईकाई प्रतिमाह, रूपये 10.00 प्रति किग्रा. की दर से वितरित की जाती है।
5. बिना गैस कनेक्शनधारी सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को केरोसीन 3 लीटर प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड 17.25 रूपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध कराया जाता है।

विभाग के अभिनव कार्य एवं योजनाएँ

राज्य में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 दिनांक 14.11.2011 से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत विभाग से संबंधित राशन कार्ड जारी करने का बिन्दु है। इस अधिनियम, 2011 के सन्दर्भ में प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्धारित समयावधि में राशन कार्ड जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 97(1) खा.वि./साविप्र/2010–11 दिनांक 11.11.2011 द्वारा सभी जिला कलक्टरों/जिला रसद अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं तथा राज्य में राशन कार्ड जारी करने के लिए निम्नांकित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है :–

1	जिला मुख्यालय नगरपालिका क्षेत्र में	जिला रसद अधिकारी/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्राधिकृत अधिकारी
2	शेष नगरपालिका क्षेत्र में	नगरपालिका बोर्ड अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त
3	ग्रामीण क्षेत्र के लिए	विकास अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति
4	राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत अन्य कोई अधिकारी	

समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत 7 दिवस की अवधि में राशन कार्ड बनाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस कार्य हेतु जिलों में उपलब्ध राशन कार्ड काम में लिये जावे। आवश्यकता होने पर स्वायत्तशाषी संस्थाओं/पंचायत समितियों/नगरपालिका/नगर परिषद द्वारा राशन कार्ड छपवाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम के क्षेत्राधिकार में दी जाने वाली सेवाएं, अवधि एवं उनके लिए निर्धारित किए जाने वाले पदाभिहित अधिकारी/सहायक पदाभिहित अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का विवरण **परिशिष्ट–"4"** पर संलग्न है।

बारां जिले के सहरिया एवं उदयपुर जिले के कथौडी परिवारों को निःशुल्क दाल, तेल एवं देशी घी

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बांरा जिले के सहरिया एवं उदयपुर जिले के कथौडी परिवारों में कुपोषण को कम करने के लिए जिले के कुल 22373 सहरिया परिवारों को प्रतिमाह दो किलों दाल, दो लीटर सोयातेल एवं एक लीटर देशी घी राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त सामग्री उपलब्ध कराये जाने पर होने वाले व्यय हेतु आवश्यक राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के बजट मद से वहन की जा रही है। इस हेतु मार्च–2014 तक राशि का प्रावधान किया गया है।

राशन टिकिट योजना

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं यथा बीपीएल, अन्त्योदय अन्न योजना, स्टेट बीपीएल योजना के राशन कार्डधारकों एवं अन्नपूर्णा योजना के अधिकारिता कार्डधारकों को वितरित किये जाने वाले खाद्यान्नों को लक्षित समूह तक पहुँच सुनिश्चित करने के उद्धेश्य से राशन टिकिट योजना लागू की गई है। बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थियों को पूर्व अंकित मात्रा के राशन टिकिट माह नवम्बर–2013 के लिए सभी जिला रसद अधिकारियों को जिला स्तर पर मुद्रित कराये जाकर उपभोक्ताओं को वितरण किये जा चुके है, जिसके आधार पर उक्त योजनाओं के उपभोक्ताओं द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को राशनकार्ड के साथ राशन टिकट उपलब्ध कराने पर ही खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। आगामी वर्ष के लिए राशन टिकट उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्युटरीकरण

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण की जा रही खाद्य एवं अन्य पीडीएस सामग्री की लक्षित समूह तक पहुँच को सुनिश्चित करने तथा डायवर्जन को रोकने के उद्धेश्य से कम्प्युटरीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया है। खाद्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त दल ने छत्तीसगढ राज्य का भ्रमण कर वहॉ अपनाई गयी कम्प्युटरीकरण प्रक्रिया का अध्ययन किया। छत्तीसगढ पैटर्न पर राज्य के जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर जिले में बल्क एसएमएस व्यवस्था को लागू किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समयबद्ध तरीके से कम्प्युटराइज करने तथा प्रगति की समीक्षा करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्च समिति का गठन किया गया है, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआईसी) तथा अतिरिक्त खाद्य आयुक्त सदस्य है। इस उच्च स्तरीय समिति के सदस्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य हैं।

एन.आई.सी. द्वारा परियोजना पर लगभग 16.89 करोड रूपये अनुमानित व्यय बताया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में अनुमानित राशि रूपये 4.82 करोड एन.आई.सी. को हस्तान्तरित कर दिये गये है। वित्त विभाग की सहमति के अनुसार राजस्थान राज्य खाद्य

एवं आपूर्ति निगम लि. द्वारा एन.आई.सी. को 2.00 करोड रूपये हस्तान्तरित किये जा चुके है। राज्य में राशनकार्डो के डिजिटाइजेशन का कार्य अंतिम चरण में है। एन.आई.सी. द्वारा विभाग का वेबपोर्टल तैयार किया जा चुका है।

राजस्थान में दिनांक **2 अक्टूबर, 2013** को 4.46 करोड लोगों को लाभ देने के उद्धेश्य से खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू किया गया था, जिसके लिए एन.आई.सी. द्वारा राजस्थान में कुल पात्र परिवारों की संख्या तथा सदस्यों की संख्या की जानकारी के लिए ऑनलाईन वेबसाफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसका पूर्ण विवरण वेबपोर्टल पर उपलब्ध है।

वर्तमान में एन.आई.सी.द्वारा प्रत्येक लाभार्थी का पूर्ण विवरण प्राप्त करने के लिए भी वेबपोर्टल तैयार किया जा चुका है तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में इसे अद्यतन किये जाने का कार्य जारी है।

अन्त्योदय अन्न योजना

यह योजना मार्च, 2001 में प्रारम्भ की गई है, जो राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के निर्धनतम वर्ग को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराती है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के चयनित अन्त्योदय अन्न परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों में सम्मिलित कर प्रति माह 35 किग्रा. गेहूँ 1.00 रूपये प्रति किग्रा. की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।

योजना में प्रारम्भ से लाभान्वितों का विवरण निम्नानुसार हैः–

चयन हेतु अनुमानित संख्या		चयनित परिवार (लाख)
सामान्य	3,72,600	3,72,600
प्रथम विस्तार 2003–2004	1,86,500	1,86,500
द्वितीय विस्तार 2004–2005	1,79,000	1,79,000
तृतीय विस्तार 2005–2006	1,94,000	1,94,000
महायोग	9,32,100	9,32,000

समर्थन मूल्य के अन्तर्गत खरीद

किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो व अनुचित व्यापारिक प्रवृतियों से किसानों की सुरक्षा की जावे, इसी दृष्टिकोण के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर कृषि जिन्सों के समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। विभाग द्वारा भारतीय खाद्य निगम के लिए राज्य एजेन्सियों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निम्न जिन्सों की खरीद (प्रोक्योरमेंट) की जाती है –

रबी फसल– गेहूँ व जौ

खरीफ फसल में मोटे अनाज, यथा, बाजरा, ज्वार व मक्का

(अ) विपणन वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 में भारत सरकार द्वारा रबी एवं खरीफ के लिए निम्न प्रकार समर्थन मूल्य घोषित किये गये हैं:–

(समर्थन मूल्य रूपये प्रति क्विंटल में)

		वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13	वर्ष 2013–14
रबी	गेहूँ	1120	1285+100 बोनस (राज्य सरकार)	1350+150 बोनस (राज्य सरकार)
खरीफ (मोटे अनाज)	बाजरा	980	1175	1250
	मक्का	980	1175	1310

भारतीय खाद्य निगम, राजफैड एवं तिलम संघ द्वारा राज्य में रबी विपणन वर्ष 2011–12 में 13,02,367 मै.टन, वर्ष 2012–13 में 19,63,936 मै.टन एवं वर्ष 2013–14 में 12.68 लाख मै.टन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद की गई है। रबी विपणन वर्ष 2013–14 में राज्य के अलवर जिले में गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद प्रायोगिक तौर पर विक्रेन्द्रीकृत क्रय योजना (डीसीपी) के पैटर्न पर शुरू की गई।

खरीफ विपणन वर्ष 2013–14 में मूंगफली की समर्थन मूल्य 4000/– रूपये प्रति क्विंटल पर दिनांक 15नवम्बर,2013 से खरीद प्रारम्भ की गई है।

चीनी

राज्य के बीपीएल राशन कार्डधारियों (अन्त्योदय परिवारों सहित) को प्रतिमाह 500 ग्राम चीनी प्रति यूनिट 10.00 रूपये प्रति किलो (माह अप्रेल,2013 से) की दर से उपलब्ध कराई जा रही है। भारत सरकार द्वारा जारी नई मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य सरकार द्वारा ''राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लि. के माध्यम से चीनी की खरीद की जाकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही है। भारत सरकार द्वारा 18.50 रूपये प्रतिकिलोग्राम अनुदान दिया जा रहा है। वर्षवार चीनी के आवंटन एवं उठाव की स्थिति **परिशिष्ट–"5"** पर संलग्न है।

केरोसीन

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली से राज्य को त्रैमासिक केरोसीन का आवंटन प्राप्त होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त नीला केरोसीन केवल खाना पकाने एवं रोशनी के उद्धेश्य से वितरित कराया जाता है। प्राप्त आवंटन का एक निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत जिलों को उप आवंटन किया जाता है। वर्तमान में राज्य में गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को केरोसीन नहीं दिया जा रहा है। बिना गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को तीन लीटर प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड की मात्रा में केरोसीन वितरण किया जा रहा है। केरोसीन के आवंटन एवं उठाव की सूचना **परिशिष्ट–"6"** पर संलग्न है।

केरोसीन का डायवर्जन रोकने के लिए केरोसीन के डीलरों को भूमिगत स्टोरेज टैंक बनाने के लिए आदेश जारी किये हुये है तथा जिला कलक्टर्स को भी यह निर्देशित किया हुआ है कि रूट चार्ट बनाकर जो भी टेंकर तेल कम्पनी से तेल लेकर रवाना होता है, वह इसकी सूचना जिला कलक्टर को दें और कलक्टर रूट चार्ट के अनुसार संबंधित तहसील/ एस.डी.ओ. को निर्देश देवें कि टेंकर का सत्यापन किया जावे और एस.डी.ओ. कम्प्युटर से ट्रॉंसमिशन करेंगे कि कौन–सा टैंकर कब और कहॉं के लिए रवाना हो रहा है?

वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केरोसीन का राज्य में समान दर से वितरण कराने हेतु विभागीय अधिसूचना क्रमांकःएफ 45(75)खा.ले./नीति/केरोसीन/ 2012–13 दिनांक 24.07.2013 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नीले केरोसीन की अधिकतम विक्रय दर 17.25 रूपये प्रति लीटर निर्धारित की गई है।

केरोसीन अनुदान राशि बाबत पायलट प्रोजेक्ट योजना

भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुदानित केरोसीन की अनुदान राशि का लाभ उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा कराये जाने बाबत, कालाबाजारी एवं डायवर्जन को रोके जाने के उद्धेश्य से बजट घोषणा 2011–12 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अनुदानित केरोसीन की अनुदान राशि का उपभोक्ताओं के बैंक खाते में सीधे ही हस्तानान्तरण करने के बारे में घोषणा की गई है। इस हेतु राज्य के अलवर जिले की कोटकासिम तहसील को पायलट प्रोजेक्ट में चयनित किया गया तथा माह दिसम्बर, 2011 से उक्त योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरम्भ किया गया। भारत सरकार द्वारा इस योजना की अवधि को समय–समय पर बढाया गया।

वर्तमान में इस योजना को राज्य के अजमेर, उदयपुर एवं अलवर जिले में एक–एक ग्रामीण एवं शहरी ब्लॉकों का निम्नानुसार चयन कर दिनांक 01जुलाई,2013 से पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है :–

क्र.सं.	नाम जिला	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
1	अलवर	नगरपालिका, खेरली	कोटकासिम तहसील
2	अजमेर	नगरपालिका, पुष्कर	अराई पंचायत समिति
3	उदयपुर	नगरपालिका, कानोड	लसाडिया पंचायत समिति

भारत सरकार द्वारा द्वितीय चरण में उक्त योजना को लागू किये जाने हेतु 3 अन्य जिलों यथा झुन्झुनू, पाली एवं कोटा का चयन किया जा चुका है। इस प्रकार हर 3 माह में धीरे–धीरे 3–3 जिलों को सम्मिलित करते हुए उक्त योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाना है।

एल.पी.जी.

घरेलू गैस रिफिल का राज्य में पंजीकृत उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार नियमित रूप से उपलब्धता के संबंध में राज्य सरकार पूर्ण रूप से सतर्क है। घरेलू गैस का व्यवसायिक ईंधन के रूप में प्रयोग को रोकने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रभावी

कदम उठाये गये हैं तथा जिला प्रशासन एवं तेल कम्पनियों को निर्देशित किया गया है। सभी जिलों में मिठाई की दुकानों, रेस्टोरेंट, वाहनों में दुरूपयोग आदि पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग करने पर द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के अंतर्गत कार्यवाही कर प्रकरण बनाये गये हैं। घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलो एवं वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर 19 किलो में उपलब्ध है। राज्य में कुकिंग गैस (एलपीजी) का वितरण आई.ओ.सी., एच.पी.सी. एवं बी.पी.सी. तेल कम्पनियां कर रही हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा रसोई गैस में 50 रूपये प्रति सिलेण्डर बढोतरी के कारण राज्य के उपभोक्ताओं पर पड रहे अतिरिक्त आर्थिक भार के संबंध में दिनांक 28.06.2011 को मंत्री परिषद की बैठक में मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 84/2011 द्वारा राज्य के उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के परिपेक्ष्य में निर्णय लिया जाकर बढी हुई दर रूपये 50 प्रति सिलेण्डर का 50 प्रतिशत भार अर्थात रूपये 25 राज्य सरकार के राजकोष से सभी घरेलू उपभोक्ताओं हेतु अनुदान दिया गया। इस संबंध में विभागीय अधिसूचना क्रमांक प. 65(3)खा.वि./एल.पी.जी./ 2011 दिनांक 29.06.2011 जारी की गई, जो यथावत् प्रभावी है।

राज्य स्तरीय समन्वयक एवं तेल विपणन कम्पनियों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे उपभोक्ताओं को रसोई गैस की समुचित आपूर्ति करे तथा आवश्यकतानुसार नये गैस कनेक्शन जारी करें। साथ ही बैकलॉग खत्म किये जाने एवं सिलेण्डर पर टॉल फ्री नम्बर अंकित करने के निर्देश प्रदान किये गए। प्रदेश में गैस एजेन्सियों द्वारा नये गैस कनेक्शन जारी करने पर निर्धारित प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु जैस– हॉटप्लेट, प्रेशर कूकर, उपभोक्ताओं को चाय, चावल, चीनी, दाल, माचिस और साबुन इत्यादि लेने को मजबूर करने की शिकायत मिलने पर गैस एजेन्सी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा जुर्माना से लेकर लाईसेंस निलम्बित/निरस्त करने तक की कार्यवाही की जायेगी।

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु दिशा–निर्देश

राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के तहत उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र जारी किए जाने हेतु आवंटन प्रक्रिया के दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं। पी.यू.सी.एल. बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में न्यायाधिपति वाधवा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उचित मूल्य दुकानों को कम्प्युटराईजेशन करने के संबंध में पारित आदेश, भारत सरकार के निर्देश एवं उचित मूल्य दुकानों में महिला समूह व सहकारी समितियों की भागीदारी बढाने के उद्धेश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेश/परिपत्र एवं दिशा–निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों की आवंटन प्रक्रिया के लिए दिनांक 27.04.2012 को दिशा–निर्देश जारी किये गये, जिसके अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी की अध्यक्षता में ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के लिये निम्नानुसार आवंटन सलाहकार समितियों का गठन किया गया :–

आवंटन सलाहकार समिति–

प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अभिशंषा हेतु निम्न सदस्यों की तहसील स्तरीय समिति गठित होगी–

(1) नगरीय क्षेत्रों हेतु–

(क)	जिला रसद अधिकारी		अध्यक्ष
(ख)	नगर निगम/परिषद/पालिका के अध्यक्ष/प्रशासक या उनके द्वारा मनोनीत बोर्ड का निर्वाचित सदस्य		सदस्य
(ग)	उप–निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा नामांकित अधिकारी		विशेष आमंत्रित सदस्य
(घ)	सहकारिता विभाग का जिला उप–पंजीयक अथवा सहायक पंजीयक		विशेष आमंत्रित सदस्य
(च)	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के		
	(I) सामाजिक कार्यकर्ता	एक	सदस्य
	(II) उपभोक्ता	एक	सदस्य
	(III) महिला उपभोक्ता	एक	सदस्य

(2) ग्रामीण क्षेत्रों हेतु–

(क)	जिला रसद अधिकारी		अध्यक्ष
(ख)	संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच		सदस्य
(ग)	उप–निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा नामांकित अधिकारी		विशेष आमंत्रित सदस्य
(घ)	सहकारिता विभाग का जिला उप–पंजीयक अथवा सहायक पंजीयक		विशेष आमंत्रित सदस्य
(च)	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के		
	(I) सामाजिक कार्यकर्ता	एक	सदस्य
	(II) उपभोक्ता	एक	सदस्य
	(III) महिला उपभोक्ता	एक	सदस्य

उचित मूल्य दुकान के अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता–

(I) "शैक्षणिक योग्यता सामान्य रूप से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं कम्प्युटर में न्यूनतम जानकारी Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) या अन्य समकक्ष संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण होना चाहिए।" यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह शपथ पत्र भी लिया जावेगा, कि वह चयनित होने के 06 माह की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के बाद प्राधिकार पत्र दिया जावेगा।

(II) वर्ष 1988–89 से पूर्व हायर सैकण्डरी परीक्षा (10+1) की स्कीम के अन्तर्गत हायर सैकण्डरी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु योग्य अभ्यर्थी माना जावेगा। कम्प्युटर की योग्यता यथावत रहेगी।

(III) मृतक डीलरों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण निर्धारित की गई है।

प्राथमिकता क्रम–

उक्त समिति आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगी। व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना पत्रों पर विचार के समय आवेदक के चयन के प्राथमिकता क्रम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया निम्नानुसार दो चरणों में पूर्ण की जावेगी–

(क) प्रथम चरण में वरीयता सूची निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम के आधार पर चयन किया जावेगा–

(I) "महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त हो तथा आवेदक आवंटन की अर्हताऐं पूर्ण करता है, तो ऐसे आवेदक का चयन किया जावेगा।"

(II) सहकारी समितियॉ (जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है)

(ख) प्रथम चरण में वरीयता में चयनित आवेदक उपलब्ध नहीं है, तो ही शेष निम्न प्राथमिकता क्रम में उल्लेखित आवेदकों का क्रमशः नियमानुसार चयन किया जावेगा–

(I) शिक्षित बेरोजगार

(II) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति

(III) महिलायें–विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं को प्राथमिकता दी जावेगी।

(IV) भूतपूर्व सैनिक अथवा उनकी विधवा।

(V) जनजाति उपयोजना के अनुसूचित क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में 45 प्रतिशत रिक्तियॉ अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के अभ्यर्थियों से भरी जावेगी। इन क्षेत्रों में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियॉ सामान्य वर्ग से भरी जावेंगी।

(VI) बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में से 45 प्रतिशत दुकानें स्थानीय सहरिया आदिम जाति के आवेदकों को, 5 प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जाति के आवेदकों को आवंटित की जावेगी।

1 विकलांगों के लिये बिना आवंटन सलाहकार समिति की अभिशंषा के जिला रसद अधिकारी स्तर पर जिलों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में रिक्त उचित मूल्य दुकानों हेतु एक विकलांग महिला/पुरूष को प्राथमिकता से चयनित किया जायेगा।

2 विकलांगों के लिए विकलांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या इससे अधिक होना चाहिए।

3 एक से अधिक विकलांग अभ्यर्थी होने पर दिनांक 27.04.2012 के दिशा–निर्देशों में अंकित द्वितीय चरण वरीयता क्रम के अनुसार किया जायेगा।

अन्य निर्देश–

- आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के द्वारा किसी व्यक्ति/संस्था के चयन के संबंध में बहुमत से की गई अभिशंषा को मानना जिला कलक्टर के लिए अनिवार्य होगा।
- किसी उचित मूल्य दुकान के लिए एक ही आवेदक द्वारा आवेदन किया गया है और वह अर्हतायें पूर्ण करता है तो उसका चयन किया जावेगा।
- आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा अपनी अभिशंषा पृथक–पृथक स्वयं के स्तर से लिखित में प्रस्तुत करनी होगी। सभी अभिशंषा पत्रों को इकजाई कर निर्णय लिया जायेगा।
- आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के मध्य किसी व्यक्ति/संस्था पर बराबर मत होने पर कमेटी द्वारा की गई अभिशंषा को जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा एवं ऐसे प्रकरणों को जिला कलक्टर द्वारा लॉटरी निकालकर निर्णित किया जायेगा।
- सहकारी संस्थाओं के संबंध में सहायक पंजीयक/उप पंजीयक से अभिशंषा प्राप्त की जावे, जिसमें यह वर्णित होना चाहिए कि गत 3 ऑडिट रिपोर्टों में गंभीर अनियमितता किया जाना पाया गया है अथवा नहीं।
- आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान के लिए एक नाम रिजर्व सूची के रूप में प्रस्तावित किया जावेगा। यदि कभी भी उचित मूल्य दुकान की डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने से अथवा अन्य किसी कारण से कोई स्थान रिक्त होता है तो रिजर्व सूची से तत्काल नियुक्ति की जावेगी।

आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों की अनुपस्थिति के परिप्रेक्ष्य में निम्न बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही की जावेगी–

(I) आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की राय के आधार पर ही अनुशंषा किया जाना अपेक्षित है। अनुपस्थित सदस्यों की राय प्राप्त करना प्रथम दृष्टया विचार योग्य नहीं है।

(II) आवंटन सलाहकार समिति की आयोजित बैठक में निर्णय/अभिशंषा नहीं होने पर ही उन्हीं दुकानों के मामले व उसी विज्ञप्ति के आधार पर पुनः बैठक आयोजित की जा सकती है अन्यथा पुनः बैठक आयोजित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। कतिपय कारणों से बैठक पुनः बुलाई जाना प्रस्तावित हो तो इसके लिए आवंटन सलाहकार समिति के अनुपस्थित सदस्यों को भी नोटिस जारी किया जाना चाहिए। उपस्थित सदस्यों को तत्समय ही अगली तिथि नियत कर लिखित में नोट करा लेना चाहिए।

(III) आवंटन सलाहकार समिति के किसी सदस्य विशेष (समिति के अध्यक्ष को छोडकर) की उपस्थिति अनिवार्य होने का कोई प्रावधान नहीं है।

(IV) आवंटन सलाहकार समिति की बैठक हेतु जिला रसद अधिकारी सहित चार का कोरम पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

सतर्कता समितियॉ–

वितरण व्यवस्था पर निगरानी हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियों का निम्नानुसार गठन किया गया है–

(अ) जिला स्तरीय सतर्कता समिति–

1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2	जिले के समस्त सांसद	सदस्य
3	जिले के समस्त विधायक	सदस्य
4	जिला प्रमुख	सदस्य
5	जिले के समस्त प्रधान (पंचायत समिति)	सदस्य
6	जिले की समस्त नगरपालिकाओं, परिषदों/निगमों के अध्यक्ष/प्रशासक	सदस्य
7	उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार	सदस्य
8	उपभोक्ता संगठनों के दो प्रतिनिधि (कलक्टर द्वारा मनोनीत)	सदस्य
9	जिला रसद अधिकारी	सदस्य सचिव

इस समिति का क्षेत्र सम्पूर्ण जिला होगा।

(ब) तहसील स्तरीय सतर्कता समिति–

1	प्रधान, पंचायत समिति	अध्यक्ष
2	उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार (उपखण्ड मुख्यालय वाली तहसीलों में उप–अध्यक्ष संबंधित उपखण्ड अधिकारी होंगे एवं तहसीलदार मात्र सदस्य होंगे)	उपाध्यक्ष
3	स्थानीय निकाय (नगरपालिका) के दो सदस्य जिनका मनोनयन अध्यक्ष, स्थानीय निकाय द्वारा किया जायेगा।	सदस्य
4	पंचायत समिति के दो सदस्य, जिन्हें संबंधित प्रधान द्वारा मनोनीत किया जायेगा।	सदस्य
5	स्थानीय विधायक	सदस्य
6	विकास अधिकारी, पंचायत समिति	सदस्य
7	दो उपभोक्ता (मनोनयन द्वारा)	सदस्य
8	सामाजिक /उपभोक्ता संगठन के दो सदस्य (मनोनयन द्वारा)	सदस्य
9	संबंधित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक	सदस्य सचिव

इस समिति का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र होगा। उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित तहसीलों एवं अन्य तहसीलों में क्रमांक 7–8 सदस्यों का मनोनयन क्रमशः उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार द्वारा किया जायेगा।

(स) उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति–

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जावेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(1) शहरी क्षेत्र के लिए–

1	वार्ड पार्षद		अध्यक्ष
2	सामाजिक कार्यकर्ता (दो)	का मनोनयन जिला मुख्यालय पर	सदस्य
3	उपभोक्ता (एक)	जिला कलक्टर द्वारा एवं अन्य	सदस्य
4	सेवानिवृत अधिकारी/ कर्मचारी (स्थानीय निवासी)	स्तर पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जायेगा।	सदस्य

(2) ग्रामीण क्षेत्र के लिए–

1	सरपंच	अध्यक्ष
2	उपभोक्ता (एक) का मनोनयन संबंधित	सदस्य
3	संबंधित विद्यालय उपखण्ड अधिकारी का प्रधानाध्यापक/अध्यापक द्वारा किया जावेगा।	सदस्य
4	सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी (स्थानीय निवासी)	सदस्य
5	उपभोक्ता /सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता	सदस्य
6	पंच (एक)	सदस्य

विभागीय परिपत्र दिनांक 11.01.2012 के द्वारा जिला एवं तहसील स्तर की निगरानी समितियों को प्रभावी बनाते हुए उपभोक्ता सप्ताह के पश्चात प्रत्येक माह में जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक प्रत्येक माह उस दिन आयोजित की जावेगी, जिस दिन जिलों में सतर्कता समिति की मासिक बैठक आयोजित की जाती है। तहसील स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक माह के प्रथम सप्ताह में शुक्रवार को आवश्यक रूप से आहूत करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें गत माह में राशन सामग्री के आवंटन, उठाव, वितरण की समीक्षा की जाती है। ये समितियॉ राशन सामग्री के संबंध में शिकायतों, आवश्यकताओं एवं समस्याओं के निराकरण के संबंध में भी अपनी टिप्पणी एवं सुझावों से राज्य सरकार को अवगत करायेंगी।

जनप्रतिनिधियों को उचित मूल्य दुकान की जॉच करने हेतु अधिकार–

राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 25.02.2011 जारी करते हुए उचित मूल्य की दुकानों पर निगरानी हेतु जॉच एवं निरीक्षण के लिए उनके निर्वाचन क्षेत्र में समस्त सांसद, विधायक, नगर निगम के महापोर, नगर परिषद के सभापति, नगरपालिका के चेयरमेन, जिला प्रमुख एवं पंचायत समितियों के प्रधान, पंचायत समितियों के सदस्यगण, जिला परिषद सदस्य, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका के पार्षद तथा ग्राम पंचायतों के सरपंच/वार्ड पंचों को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाए जाने के क्रम में विभाग द्वारा निम्नांकित कदम उठाए गए हैः–

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु राज्य में राशन टिकट व्यवस्था लागू की गई है।
- उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु नवीन दिशा निर्देश दिनांक 27.04.2012 को जारी किये हुये है।
- प्रवर्तन अधिकारियों/निरीक्षकों के निरीक्षण व भ्रमण को प्रभावी बनाना।
- नियंत्रित वस्तुओं की उचित मूल्य दुकान पर पहुंच सुनिश्चित कराने एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और प्रभावी बनाने के उद्धेश्य से उचित मूल्य दुकान स्तर पर अनलोडिंग के समय सतर्कता समिति के सदस्यों, पटवारी, ग्रामसेवक, सरकारी कर्मचारी अथवा किसी निगम या सहकारी संस्था के कार्मिक द्वारा सत्यापन कराये जाने के निर्देश जारी किये गये।
- ग्रामीण क्षेत्रों में राशन सामग्री का सत्यापन आगामी माह की 5 तारीख तक सरपंच ग्राम पंचायत से कराया जाकर वितरण किया जावेगा। विभाग का यह प्रयास रहेगा कि सम्पूर्ण राशन सामग्री का उठाव 15 तारीख से पूर्व किया जाकर राशन की दुकानों पर पहुंच सुनिश्चित की जावे।
- सम्पूर्ण राज्य में उपभोक्ता पखवाडा माह जनवरी,2014 से लागू किया गया है। उचित मूल्य दुकानें पूरे माह खुली रहेगी तथा राशन सामग्री का वितरण किया जावेगा। उचित मूल्य दुकानों के खुली रहने के समय में एकरूपता की गई हैः–

माह	समय
उपभोक्ता पखवाडा प्रत्येक माह 16 से अन्तिम तारीख तक	प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक (अपरान्ह 01 से 02 तक भोजन अवकाश)
1 अप्रेल से 30 सितम्बर तक	प्रातः 8 से दोपहर 1 बजे तक
1 अक्टूबर से 31 मार्च तक	प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक
साप्ताहिक अवकाश का दिन निर्धारित करने के लिये जिला कलक्टर्स को अधिकृत किया गया है। उपभोक्ता पखवाडे की अवधि में कोई अवकाश नहीं रहेगा।	

उपखण्ड अधिकारियों को खण्ड 8 व 9 के अधीन शक्तियॉ

विभाग द्वारा दिनांक 17.01.2012 को अधिसूचना जारी की जाकर जिला मुख्यालय पर पदस्थापित उपखण्ड अधिकारी के अलावा अन्य समस्त उपखण्ड अधिकारियों को अपने–अपने क्षेत्राधिकार में राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 8 और 9 के अधीन शक्तियॉ प्रदत्त की गई है, जिसके तहत अपने क्षेत्र के अन्तर्गत अनियमितता पाए जाने पर उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र को निलम्बित एवं निरस्त कर सकेंगे एवं विभागीय प्रकरण दर्ज कर सकेंगे। समस्त उपखण्ड अधिकारियों को उनके क्षेत्र में प्रत्येक माह 15 उचित मूल्य की दुकानों के मासिक निरीक्षण हेतु मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। विभागीय परिपत्र दिनांक 23.12.2011 द्वारा उपखण्ड अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गेहूँ, केरोसीन एवं चीनी के अतिरिक्त गैर पीडीएस सामग्री पर भी निगरानी रखेंगे।

ग्राम पंचायतों को अधिकार

विभागीय परिपत्र दिनांक 11.01.2012 द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने हेतु प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त उचित मूल्य दुकानदार अपने संबंधित ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह की 5 तारीख को आयोजित बैठक में गत माह के दौरान उचित मूल्य दुकान में वितरण की गई सभी पीडीएस एवं गैर पीडीएस सामग्री के आवंटन, उठाव, वितरण एवं माह के अन्त में शेष सामग्री की मासिक सूचना सहित आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे एवं ग्राम पंचायत को उपरोक्तानुसार समस्त जानकारी उपलब्ध कराने तथा वितरण व्यवस्था का सत्यापन सरपंच, ग्राम पंचायत से कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के अन्तर्गत प्रवर्तन कार्यवाही

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही कर आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्य पर वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने हेतु निरन्तर निगरानी की व्यवस्था है। इस कार्यवाही के तहत अप्रैल, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक 197 छापे मार 209.13 लाख रूपये की आवश्यक उपभोक्ता सामग्री जब्त की गई। 13 व्यक्तियों को गिरप्तार किया गया, 45 के अदालत में चालान प्रस्तुत किये गये तथा 11 व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राज्य में वर्ष 2013–14 के दिसम्बर, 2013 तक की गई कार्यवाही का मानचित्र **परिशिष्ट–"7"** पर संलग्न है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत विभाग द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्ति बाबत निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये हुए हैः–

क्र.सं.	विभाग	राज्य लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1.	खाद्य,नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर	1.उपायुक्त (मुख्यालय) एवं शासन उप सचिव 2.उपायुक्त (प्रथम) एवं शासन उप सचिव 3.वित्तीय सलाहकार 4.सहायक आयुक्त (खाद्य)– नोडल अधिकारी	प्रमुख शासन सचिव (खाद्य)
2.	जिला स्तर पर	जिला रसद अधिकारी	जिला कलक्टर (रसद)

उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अनु.(बी) के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं पर विभागीय मैन्यूअल प्रकाशित किया जा चुका है। इस मैन्यूअल की प्रति विभाग मुख्यालय पर सर्वसाधारण के लिए अवलोकनार्थ उपलब्ध है। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रार्थना पत्रों का निर्धारित अवधि में अथवा इससे पूर्व निस्तारण किया जाता है।

उपभोक्ता मामले विभाग

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य आयोग एवं जिला स्तर पर सभी 33 जिलों में पूर्णकालिक जिला मंचों का गठन किया हुआ है। जयपुर जिले में 3 तथा जोधपुर जिले में 1 अतिरिक्त पूर्णकालिक मंच का गठन किया गया है। उपभोक्ता आन्दोलन को गति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किये गये हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

उपभोक्ता मामले विभाग की स्थापना

वर्ष 2007–08 की बजट घोषणा में उपभोक्ता मामले विभाग की स्थापना प्रस्तावित की गई थी, किन्तु तत्समय यह घोषणा मूर्त रूप नहीं ले पाई। गत सरकार में मंत्रीमण्डल की बैठक में खाद्य,नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग से उपभोक्ता मामले विभाग को विखण्डित कर पृथक किये जाने के लिये राजस्थान कार्य विधि नियमों में संशोधन का प्रस्ताव मंत्रीमण्डल के समक्ष रखा गया, जिसे मंत्रीमण्डल द्वारा अनुमोदित किया जाकर उपभोक्ता मामले विभाग को पृथक किये जाने की अधिसूचना दिनांक 26.09.2013 को जारी कर दी गई। उपभोक्ता गतिविधियों के प्रभावी संचालन, प्रोन्नयन एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों पर संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी पदस्थापित किये गये।

राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष

उपभोक्ता हितों के संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा उपभोक्ता संरक्षण संबंधी कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से राज्य में उपभोक्ता कल्याण कोष स्थापित किया गया है। इस कोष में भारत सरकार द्वारा 27.00 लाख रूपये का योगदान दिया गया तथा इतनी ही राशि (27.00लाख) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई। कोष के संचालन हेतु राज्य में पृथक से राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष नियम बनाये गये है।

निर्धन/अक्षम उपभोक्ताओं के लिए विधिक सहायता योजना

उपभोक्ता संरक्षण कानून की सार्थकता निर्धन/अक्षम उपभोक्ता को इस कानून का लाभ प्रदान करने में निहित है। वैधानिक रूप से वकील की अनिवार्यता नहीं होने के बावजूद उपभोक्ता मामलों में वकील उपभोक्ता मंचों में उपस्थित हो रहे है। इन परिस्थितियों में ऐसे निर्धन/अक्षम उपभोक्ता जो कि वकील का खर्च वहन करने में असमर्थ है, उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

इस उद्धेश्य की पूर्ति के लिए निर्धन/अक्षम उपभोक्ताओं के लिये विधिक सहायता की एक योजना है। यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू है। जिले के एक चिन्हित स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन को इस योजना के लिये 10 हजार रूपये की राशि उपलब्ध करा दी गयी है। इस राशि में से स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन प्रत्येक प्रकरण के लिये

अधिकतम रूप से 300/– रूपये की विधिक सहायता संबंधी वकील को पारिश्रमिक एवं अन्य व्यय के लिए भुगतान करेगा। प्रकरण में निर्णय होने पर यदि निर्णय उपभोक्ता के पक्ष में होता है, तो, उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति एवं वाद खर्च के रूप में जो राशि अप्रार्थी से प्राप्त होगी, उस राशि में से स्वैच्छिक संगठन अपने द्वारा व्यय की गई राशि उपभोक्ता से प्राप्त कर रसीद देगें और इस प्रकार स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन के पास इस योजना के मद में रिवोल्विंग फण्ड बन सकेगा। स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन का चयन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा किये जाने का प्रावधान है।

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के सशक्तिकरण की योजना

उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित जन जागृति के कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका बढाने हेतु उनका सशक्तिकरण किया जाना आवश्यक है। सभी जिला मुख्यालय पर एक स्वैच्छिक संगठन इस कार्य के लिए चिन्हित कर उसके सशक्तिकरण के लिए 50000 रूपये की राशि प्रदान किये जाने की योजना राज्य में लागू है। इस योजना के लिए राज्य के सभी जिलों को प्रति जिला 50000 रूपये की राशि विभाग द्वारा दी गई है। इस राशि से संगठन, कम्प्यूटर (प्रिन्टर सहित) खरीद सकेगें तथा शेष राशि आई.ई.सी. मेटेरियल तैयार करने में व्यय कर सकेगें। योजना के लिए स्वैच्छिक संगठन का चयन, उपभोक्ता क्लब योजना के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा किये जाने का प्रावधान है। स्वैच्छिक संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग जिले के जिला रसद अधिकारी द्वारा की जायेगी।

विद्यालयों में उपभोक्ता क्लबों का गठन

युवाओं एवं बच्चों में उपभोक्ता संरक्षण के प्रति जागृति उत्पन्न करने एवं शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण का प्रचार–प्रसार करने की दृष्टि से राज्य के 500 राजकीय सीनियर सेकेण्डरी एवं सेकेण्डरी विद्यालयों का उपभोक्ता क्लब स्थापित करने के लिए सत्र 2004–05 में चयन किया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित इस योजना के दूसरे चरण में राज्य के 500 राजकीय सीनियर सेकेण्डरी एवं सेकेण्डरी विद्यालयों का चयन कर उपभोक्ता क्लब स्थापित किये गये है। इस प्रकार राज्य के 1000 राजकीय विद्यालयों में उपभोक्ता क्लब स्थापित है। प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्थापित उपभोक्ता क्लबों हेतु भारत सरकार से 1.50 करोड की राशि प्राप्त हुई थी, जिसे उपभोक्ता क्लबों को आवंटित की जा चुकी है। ऐसे अनेक उदाहरण मिल रहे है, जिनमें क्लब के सदस्य (छात्र) उपभोक्ता अधिकारों के हनन पर अपने माता पिता एवं अभिभावकों को उपभोक्ता अदालत में जाने के लिए प्रेरित कर रहे है तथा उन्हें सजग उपभोक्ता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है।

उपभोक्ता जागरूकता हेतु किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयास

उपभोक्ता हितों को सर्वोपरि रखते हुए राज्य में उपभोक्ता जागरूकता की दिशा में आरम्भ से ही महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे है। जागरूक उपभोक्ता, सुरक्षित उपभोक्ता के साथ ही उपभोक्ता शिक्षा की दिशा में प्रभावी वातावरण निर्माण किये जाने के लिए जहाँ पहल की गई है, वहीं संभागीय मुख्यालय पर राज्य आयोग की सर्किट बैंच की स्थापना भी की गई है। राज्य के प्रमुख मेलों में उपभोक्ता जागृति कार्यक्रम संबंधी विशेष आयोजनों के साथ ही उपभोक्ता जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयास इस प्रकार से हैः–

राज्य आयोग की सर्किट बैंच की स्थापना

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2012–13 के अनुसरण में अजमेर एवं भरतपुर में भी राज्य उपभोक्ता आयोग की सर्किट बैंच स्थापित किए जाने के आदेश विभागीय स्तर से दिनांक 18.05.2012 को जारी किये जा चुके हैं। इस प्रकार राज्य के सभी संभाग जिला मुख्यालय जयपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, जौधपुर एवं उदयपुर पर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बैंच का गठन कर दिया गया है।

राज्य में अतिरिक्त जिला उपभोक्ता मंचों का गठन

उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय दिलाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा जयपुर जिले में 2 एवं जोधपुर जिले में 1 अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों का गठन किया गया है, जिसके संदर्भ में विभागीय स्तर से दिनांक 26.11.2011 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है। उक्त नवगठित जिला उपभोक्ता मंचों में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति होने के उपरान्त सुचारू रूप से कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का व्यापक आयोजन

दिनांक 24 दिसम्बर,2013 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस राज्य स्तर एवं सभी जिलों में मनाया गया। इसमें जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक एवं महिला संगोष्ठी आयोजित की गयी। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय लोकगीत एवं कविता प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, कठपूतली/नुक्कड नाटकों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में आयोजित किया गया।

उपभोक्ता हैल्पलाइन

राज्य में केन्द्र सरकार के निर्णयानुसार 15 मार्च, 2011 को ''विश्व उपभोक्ता दिवस'' के अवसर पर उपभोक्ता हैल्पलाईन का शुभारम्भ किया गया है। राज्य स्तरीय उपभोक्ता हैल्पलाइन का संचालन राज्य की स्वैच्छिक उपभोक्ता संस्था कन्ज्यूमर्स एक्शन एण्ड नेटवर्क सोसायटी ''केन्स'' जयपुर द्वारा सुचारू रूप से किया जा रहा है। हैल्पलाइन का टोल फ्री नम्बर **18001806030** है।

वास्तविक आय–व्यय एवं संशोधित प्रावधान

वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 की वास्तविक आय एवं व्यय तथा वर्ष 2012–13 के मूल बजट अनुमान एवं संशोधित बजट अनुमान तथा 2013–14 के मूल बजट अनुमान का विवरण **परिशिष्ट–"8"** पर संलग्न है। कुल आय एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाखों में)

आय एवं व्यय का प्रकार	वास्तविक कुल आय एवं व्यय 2011–12	वास्तविक कुल आय एवं व्यय 2012–13	मूल बजट अनुमान 2012–13	संशोधित बजट अनुमान 2012–13	बजट अनुमान 2013–14
विभागीय कार्यालय संचालन संबंधी विविध व्यय (आयोजना भिन्न मद)	3343.58	3344.97	3697.02	3573.08	3961.44
आयोजना भिन्न मद की योजनाओं के व्यय	25617.77	31797.87	27098.02	32428.30	31393.26
आयोजना मद की योजनाओं के व्यय	9855.15	37950.85	14350.04	39231.33	13733.74
केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के व्यय	80.76	29.02	80.60	46.64	33.76
विभाग की विविध आय	2358.97	1953.93	3096.72	1614.87	1477.05

आयोजना भिन्न मद की योजनाऐं :–

अन्त्योदय अन्न योजना, मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के तहत बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल अन्न योजना, फूड स्टेम्प योजना, सहरिया–कथौडी अन्न योजना, चल प्रयोगशाला एवं केरोसीन परिवहन समानीकरण योजना।

आयोजना मद की योजनाऐं :–

अन्नपूर्णा योजना, राशन टिकट योजना, कुष्ठ रोग ग्रस्त/मुक्त लोगों की अन्न योजना, धरेलू गैस सिलेण्डर पर अनुदान, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद पर बोनस भुगतान, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड डिजिटाइजेशन ऑफ राशनकार्डस् एवं कम्प्यूटराइजेशन ऑफ टीपीडीएस।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं :–

उपभोक्ता मंचों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण, उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम एवं राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन की स्थापना।

विभाग की प्रशासनिक संरचना **परिशिष्ट–"9"** पर अंकित है।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0

1. निगम की स्थापना

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार की वर्ष 2010–11 की बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने हेतु **राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0** की दिनांक 8–12–2010 को स्थापना की गयी थी।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. का **रजिस्ट्रेशन** दिनांक **08.12.2010** को कंपनी एक्ट की धारा 617 के अन्तर्गत किया गया है तथा रजिस्ट्रार कम्पनी मामले, राजस्थान जयपुर से दिनांक **27.12.2010** को निगम द्वारा **व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र** प्राप्त किया गया।

2. निगम की अंश पूँजी

निगम की अधिकृत अंश पूँजी 100 करोड़ रूपये है। वर्तमान में प्रदत्त अंश पूँजी 50 करोड़ रूपये है। 50 करोड़ रूपये के अंशों में से 49.93 करोड़ रूपये के अंश महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम हैं तथा शेष 7.00 लाख रूपये के अंश निगम के सात निदेशको के नाम हैं।

3. निगम का संचालक मण्डल

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
2. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग
3. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन
4. प्रमुख शासन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग एवं उपभोक्ता मामले विभाग
5. शासन सचिव, वित्त बजट विभाग
6. रजिस्टार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान
7. प्रबन्ध निदेशक, राज. राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0, राजस्थान.

4. निगम के विगत तीन वर्षों के वित्तीय परिणाम

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2010–11	वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13
1	व्यापार वृत (Turn over)	0.012	16.67	38.43
2	लाभ/हानि (Profit/Loss)	(–) 0.84	9.25	8.61

5. निगम के कार्य एवं उद्देश्य

5.1 निगम भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाव कर पूरे प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करेगा। निगम परिवहन व आपूर्ति हेतु आवश्यक निविदायें एवं ठेके आदि की कार्यवाही सम्पन्न करेगा।

5.2 राज्य के उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु निगम गैर पी.डी.एस. सामग्री, बड़े निर्माताओं (Manufacturers) से क्रय कर बाजार से सस्ते दामों पर उचित मूल्य की दुकानो के माध्यम से उपलब्ध करायेगा।

5.3 चूंकि उचित मूल्य की दुकानों पर प्रभावी आपूर्ति एवं व्यवस्था बनाना निगम का दायित्व होगा, अतः निगम तहसील स्तर पर जहॉ केन्द्रीय भण्डारण निगम या राज्य भण्डारण निगम के गोदाम उपलब्ध नहीं हैं वहॉ राशन सामग्री के भण्डारण हेतु गोदाम आदि किराये पर लेने की व्यवस्था करेगा। लेकिन जहॉ पर राज्य भण्डारण निगम किराये पर गोदाम लेकर किराये पर उपलब्ध कराने की स्थिति में होगा, वहॉ पर निगम भण्डारण हेतु स्वयं गोदाम किराये पर नहीं लेगा।

5.4 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगा।

5.5 बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं जैसे दलहन, खाद्य, तेल, चीनी आदि के दाम बढने पर निगम बाजार में हस्तक्षेप कर इन उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराने का कार्य करेगा।

5.6 इसके साथं ही निगम उचित मूल्य की दुकानों पर राशन सामग्री के अतिरिक्त गैर पी.ड़ी.एस. सामग्री जैसे आयोडाइज्ड नमक, चाय, वाशिंग सोप, पिसे हुए मसाले आदि भी उपलब्ध कराता है ताकि आम उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुएं प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर प्राप्त हो सके।

5.7 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अन्तर्गत अन्य कार्य भी करेगा।

6. निगम में स्वीकृत पदों की स्थिति

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा दिनांक **24.11.201**0 को निगम के त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचे के लिए **पदों** एवं सेवाओं के सृजन की **स्वीकृति** जारी की गई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के आदेश दिनांक 24.11.2010, 28.06.2011 17.12.2012 एवं 04.06.2013 के द्वारा निगम मुख्यालय हेतु स्वीकृत/ कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रसं.	कार्यालय स्तर	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	विशेष विवरण
1	निगम कार्यालय	59	41	18	कार्मिक सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से – 19 प्रतिनियुक्ति के माध्यम से – 22
2	जिला कार्यालय	272	188	84	निगम में मैनेजर मद के स्थायी भर्ती के पद – 34 (इनमें से 4 पद रिक्त एवं 30 कार्यरत है) प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत कार्मिक सेवाप्रदाता एजेन्सी के माध्यम से – 158
3	तहसील स्तर	488	65	423	रेक्सको के माध्यम से जेसीओ/गार्ड के पद – 65
	कुल योग	**819**	**294**	**525**	

इसके अतिरिक्त निगम मुख्यालय पर 29 सेवानिवृत कार्मिक कार्यरत है तथा एक कनिष्ठ लिपिक, दो जेसीओ/ तीन सुरक्षा गार्ड Rexco से कार्यरत है।

7. निगम का थोक व्यापार

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण हेतु निगम को राज्य सरकार द्वारा थोक विक्रेता घोषित किया गया है। निगम का तहसील स्तर पर कोई कार्यालय नहीं होने के कारण समस्त जिलो में तहसील स्तर पर पूर्व से ही कार्यरत थोक विक्रेता अर्थात् क्रय–विक्रय सहकारी समिति, सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार एवं राजस्थान जनजाति क्षेत्रिय सहकारी विकास संघ लि. के द्वारा निगम के प्रतिनिधि के रूप में खाद्यान्न उठाव एवं वितरण का कार्य किया जा रहा है । खाद्य विभाग द्वारा निगम को राज्य स्तरीय थोक विक्रेता नियुक्त कर नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली

8.1 गेहूँ की आपूर्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् पूर्व में राज्य के बीपीएल, स्टेट बीपीएल अन्तोदय एवं अन्नपूर्णा परिवारों को मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा के अन्तर्गत गेहूँ का आवंटन खाद्य विभाग के द्वारा एवं वितरण का कार्य निगम के माध्यम से करवाया जा रहा था। वर्तमान में राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू हो जाने के उपरान्त खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत चयनित परिवारों को 5 किलो गेहूँ प्रति व्यक्ति 2 रू. प्रति किलो की दर से तथा बीपीएल एवं एसबीपीएल परिवारों को न्यूनतम 25 किलो गेहूँ एवं अन्त्योदय परिवारों को 35 किलो प्रति परिवार प्रति माह 1 रू. प्रति किलो की दर से आपूर्ति किया जा रहा है। गेहूँ का लाभार्थियों को वितरण खाद्य विभाग के निर्देशों के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों के द्वारा किया जा रहा है।

8.2 राज्य में निगम द्वारा मार्च, 2011 से सितम्बर, 2013 तक फोर्टिफाइड आटे की आपूर्ति किये गये बैग्स (10 kg) का विवरण

क्र.सं.	अवधि	बैग्स आपूर्ति (प्रति माह)	कुल माह	आपूर्ति किये गये बैग्स की कुल संख्या (प्रति 10 किग्रा)
1	मार्च 2011 से मार्च 2012	20 लाख	7	4.40 करोड
		50 लाख	6	
2	अप्रैल 2012 से मार्च, 2013	60 लाख	12	7.20 करोड
3	अप्रैल 2013 से सितम्बर, 2013	70 लाख	6	4.20 करोड़
योग				**15.80 करोड**

8.3 पीडीएस के अन्तर्गत चीनी वितरण

- केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2013 से चीनी को लेवी से नियंत्रण मुक्त किया गया है। राज्यों को खुले बाजार से चीनी क्रय कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किये गये है। राज्य को प्रतिमाह 7342.00 मै. टन का आवंटन प्राप्त होता है। वर्ष में एक बार त्यौहार आवंटन 5092 मै. टन अतिरिक्त प्राप्त होता है। इस प्रकार कुल वार्षिक आवंटन 93196 मै. टन प्राप्त होता है।
- दिनांक 01.06.2013 से लागू परिवर्तित प्रणाली में केन्द्र सरकार द्वारा 18.50 रूप्ये प्रति किलो की दर से एक मुश्त अनुदान दिया जाता है । राज्य में 01.04.2013 से पूर्व चीनी का विक्रय मूल्य रूपये 13.50 प्रति किलो निर्धारित था। राज्य में 01.04.2013 से 10.00 रूपये प्रति किलो की दर से बीपीएल परिवारों को चीनी उपलब्ध करवायी जा रही है। इस प्रकार 18.50+10.00=28.50 रूपये प्रति किलो से अधिक लागत होने पर अतिरिक्त राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है जिसका वित्तीय वर्ष 2013–14 में वित्तीय भार 50 करोड़ रूपये वार्षिक है। उक्त में से 30 करोड़ रूपये का अनुदान राज्य सरकार से निगम को प्राप्त हो चुका है।
- चीनी की आपूर्ति खुले बाजार से क्रय करने हेतु निगम द्वारा दिनांक 10.06.2013 को ई–टेण्डर जारी किये गये एवं सफल निविदादाता (एल–1) श्री गणेश खाण्ड उद्योग मण्डली सहकारी मिल लि. वटारिया (गुजरात) से 3 माह की आपूर्ति हेतु दिनांक 30.07.2013 को अनुबन्ध निष्पादित किया गया।
- चीनी की दरें निम्नप्रकार प्राप्त हुईः–

क्र.सं	संभाग	मात्रा (क्विं में)	दर प्रति	कुल मूल
1	उदयपुर एवं जोधपुर	101022	3345.13	33.79 करोड़
2.	अजमेर, भरतपुर, कोटा, जयपुर एवं बीकानेर	119238	3398.63	40.52 करोड़

- चीनी का वितरण 10 रूपये प्रति किलो की दर से उपभोक्ताओं को किया जा रहा है। उपभोक्ताओं से उक्तानुसार प्राप्त राशि का विभाजन निम्नप्रकार हैः–

क्र.सं.	संस्था	विवरण	राशि (प्रति किलो) रू.
1	क्रय विक्रय सहकारी समिति	कमीशन	0.11
2	उचित मूल्य दुकानदार	कमीशन व परिवहन	0.19 (0.12+0.7)
3	आपूर्ति निगम का कमीशन	कमीशन	0.18

गैर पी.ड़ी.एस. वस्तुओं का विपणन कार्य

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु नॉन पीडीएस सामग्री के अन्तर्गत निम्न सामग्री उपलब्ध करवाने के संबंध में कार्यवाही की गई । राज्य में गैर पी.डी.एस. वस्तुओं की उपभोक्ताओं को उचित दरों तथा उच्च गुणवत्ता में निर्बाध आपूर्ति हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार निगम द्वारा गैर पीडीएस वस्तुओं के उत्पादनकर्ता/निर्माताओं एवं थोक विक्रेताओं से प्रथम चरण में आयोडीनयुक्त नमक, चाय

एवं साबुन को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को वितरण करने हेतु आवश्यक निविदायें जारी की गई। प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम मूल्य पर चाय एवं आयोडाईज वाश नमक आपूर्ति करने वाली कंपनी/फर्मो को आपूर्ति हेतु कार्यादेश दिए गए तथा अगस्त 2011 से निगम की ब्राण्ड अन्तर्गत (राज ब्राण्ड) चाय एवं नमक का वितरण उपभोक्ताओं को प्रारंभ किया गया है।

वर्तमान में गैर पीडीएस मदों में कपडे धोने का साबुन, पिसे हुए पैक्ड मसाले (हल्दी, मिर्ची एवं धनिया), दालें (चना एवं मूंग) फ्री फ्लो आयोडाइज्ड नमक एवं खाद्य तेल (तिल्ली, सरसों एवं मूंगफली) आदि की उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाने के लिये आपूर्ति हेतु खुली निविदाएं आमंत्रित कर प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम मूल्य पर आपूर्ति करने वाली कंपनी/फर्मो को आपूर्ति हेतु कार्यादेश दिए गए। गैर पी.डी.एस. वस्तुओं का वर्षवार उचित मूल्य दुकानदारों को उपलब्ध कराने का विवरण निम्न प्रकार है :–

Non-PDS Item Tea & Iodized Salt at a glance for the Year 2011-12

Sr. No.	Name of Items	Financial Year	Quantity in Kg.	Selling Price (per kg.)
1	Tea	2011-12	4,058,320.00	140.00
2	Iodized Washed Salt	2011-12	5,206,700.00	5.00
3	Iodized Free Flow Salt	2011-12	2,110,000.00	6.00

Non-PDS Item Tea, Spices, Washing Soap, Iodized Salt, Pulses etc. at a glance for the Year 2012-13

Sr. No.	Name of Items	Financial Year	Quantity in Kg.	Selling Price (per kg.)
1	Tea	2012-13 from April to December	1,817,900.00	140.00
		2012-13 from Janary to March	679,275.00	160.00
2	**Spices**			
	Chilly Powder	2012-13	4,440.00	135.00
	Turmeric Powder	2012-13	4,200.00	135.00
	Coriander Powder	2012-13	4,110.00	110.00
3	**Washing Soap**	2012-13	1,126,120.00	40.00
4	**Iodized Free Flow Salt**	2012-13	10,252,450.00	6.00
5	**Moong Chhilka Dal**	2012-13	305,609.00	71.00

Non-PDS Item Tea, Spices, Washing Soap, Iodized Salt, Pulses etc. at a glance for the Year 2013-14

Sr. No.	Name of Items	Financial Year	Quantity in Kg.	Selling Price (per kg.)
1	Tea	2013-14	1,685,950.00	160.00
2	**Spices**			
	Chilly Powder	2013-14	484,716.00	135.00
	Turmeric Powder	2013-14	452,970.00	135.00
	Coriander Powder	2013-14	396,865.00	110.00
3	**Washing Soap**	2013-14	677,670.00	40.00
4	**Iodized Free Flow Salt**	2013-14	3,876,750.00	6.00
5	**Moong Chhilka Dal**	2013-14	369,184.00	71.00

- इसके अतिरिक्त नॉन पीडीएस सामग्री के तहत नहाने का साबुन, वाशिंग पाउडर एवं डिटरजेन्ट केक, चने की दाल एवं सोया खाद्य तेल हेतु निविदा संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- निगम के द्वारा विपणन की जाने वाली गैर पीडीएस वस्तुओं को – ''राज'' नामक ब्राण्ड़ दिया गया है। इसके लिये अलग **''लोगो''** तथा पैकिंग डिजाईन की गई है।
- निगम ने प्रत्येक वस्तु की एम.आर.पी. निम्न प्रकार निर्धारित की हैः–

क्र. सं.	सामग्री का नाम	विक्रय मूल्य (MRP)	विशेष विवरण
1.	चाय	160/– रु. प्र. किलो	**250 ग्राम के पैकेट का मूल्य 40/– रु.**
2.	लाल मिर्च पाउडर	135/– रु. प्र. किलो	200 ग्राम के पैकेट का मूल्य 27/– रु.
3.	हल्दी पाउडर	135/– रु. प्र. किलो	200 ग्राम के पैकेट का मूल्य 27/–रु.
4.	धनिया पाउडर	110/– रु. प्र. किलो	200 ग्राम के पैकेट का मूल्य 22/–रु.
5.	नमक	6/– रु. प्र. किलो	–
6.	कपडे धोने का साबुन	40/– रु. प्र. किलो	200 ग्राम टिकिया के 8/–रु.
7.	हरी मूँग दाल	73/– रु. प्र. किलो	(एक कि.ग्रा. के 73/– रु.)

- निगम के द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही उचित मूल्य दुकानदारों के द्वारा सामग्री का विक्रय उपभोक्ताओं को किया जा रहा है।
- निगम के द्वारा चयनित/प्राधिकृत फर्मो/कंपनियों द्वारा विपणन किए जाने वाली वस्तुओं की आपूर्ति सी एण्ड एफ के द्वारा उचित मूल्य दुकानदारों को करवाई जा रही है। उचित मूल्य दुकानदार इन सी. एण्ड एफ. से निर्धारित एम.आर.पी. में से अपनी कमीशन राशि घटाकर निर्धारित दर पर सामग्री प्राप्त करते हैं व एम.आर.पी. दर पर क्षेत्र के सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुसार वितरण करते हैं। इस हेतु राशन कार्ड की अनिवार्यता नहीं है।
- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा गैर पीडीएस वस्तुओं की उचित मूल्य दुकानों को डोर स्टेप आपूर्ति की जा रही है।
- गैर पी.डी.एस. सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु वस्तुओं के सैम्पल राष्ट्रीय अनुमोदित प्रयोगशालाओं (NABL) से परीक्षण करवाने के बाद ही आपूर्तिकर्ता फर्म से उत्पाद आपूर्ति दी जाती है।
- गैर–पीडीएस सामग्री चाय एवं मसालों (हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर) पर निगम के हॉलोग्राम (hologram) पैकेटों पर लगाए जाते है।

9. अन्य योजनाएं

(1) सहरिया परिवार :– बजट घोषणा वर्ष 2012–13 के क्रम में बारां जिले के 22773 सहरिया परिवारों को कुपोषण से बचाने के लिए प्रति माह, प्रति परिवार 2 किलो हरी मूंग दाल, 2 लीटर सोया खाद्य तेल एवं 1 लीटर देशी घी का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। माह दिसम्बर, 2012 से दिसम्बर, 2013 तक निम्नानुसार खाद्य सामग्रियो का वितरण किया गया है :–

हरी मूंग दाल	5,81,698 किलो	निविदा के आधार पर न्यूनतम दर वाली फर्म के माध्यम से
सोया खाद्य तेल	5,81,698 लीटर	तिलम संघ कोटा के माध्यम से
देशी घी	2,91,119 लीटर	कोटा डेयरी के माध्यम से

(2) कथौडी परिवार :– राज्य सरकार के निर्णय के क्रम में उदयपुर जिले के 1106 कथौडी परिवारों को कुपोषण से बचाने के लिए माह जुलाई 2013 से प्रति माह, प्रति परिवार, 2 किलो हरी मूंग दाल, 2 लीटर सोया खाद्य तेल एवं 1 लीटर देशी घी का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। माह जुलाई, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक निम्नानुसार खाद्य सामग्रियो का वितरण किया गया है :–

हरी मूंग दाल	13,272 किलो	निविदा के आधार पर न्यूनतम दर वाली फर्म के माध्यम से
सोया खाद्य तेल	13,272 लीटर	तिलम संघ के माध्यम से
देशी घी	6,636 लीटर	उदयपुर डेयरी के माध्यम से

10. खाद्यान्न परिवहन

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निगम ने वर्ष 2011–12 में खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन व आपूर्ति हेतु आवश्यक निविदायें आमंत्रित की थी। 10 जिलों हेतु निविदायें प्राप्त हुई थी जिनमें से 8 जिलों में परिवहनकर्ताओं को नियुक्त किया गया। बीकानेर, धौलपुर एवं उदयपुर में माह सितम्बर 2011 से तथा बांसवाड़ा एवं जयपुर में परिवहन कार्य माह दिसम्बर, 2011 से प्रारंभ किया गया। करौली, अलवर एवं कोटा जिले के परिवहनकर्ताओं से जिला रसद अधिकारियों ने परिवहन कार्य नहीं करवाया। **वर्तमान में केवल धौलपुर एवं बांसवाड़ा जिलों में ही परिवहनकर्ताओं के द्वारा राज्य सरकार से स्वीकृत दरों पर खाद्यान्न परिवहन कार्य सम्पादित किया जा रहा है।**

वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत परिवहन दरें निम्न प्रकार हैं:–

क.सं.	विवरण	वर्तमान दर	संशोधित दर
1	प्रथम 5 कि.मी. तक	रू. 10.73 प्रति क्विं.	रू. 12.66 प्रति क्विं.
2	5 कि.मी.से 15 कि.मी. तक	रू. 6.57 प्रति क्विं.	रू. 7.75 प्रति क्विं.
3	15 कि.मी. से 100 कि.मी. तक	रू. 0.21 प्रति क्विं. प्रति कि.मी.	रू. 0.25 प्रति क्विं. प्रति कि.मी.
4	100 कि.मी. से अधिक	रू. 0.16 प्रति क्विं. प्रति कि.मी.	रू. 0.19 प्रति क्विं. प्रति कि.मी.

11. उत्तराखण्ड आपदा सहायता

उत्तराखण्ड राज्य में बादल फटने से उत्पन्न अतिवृष्टि के कारण उत्तराखण्ड राज्य को सहायता प्रदान करने बाबत् माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्य सचिव एवं अन्य विभागों के प्रमुख शासन सचिवगण की दिनांक 19.06.2013 को आयोजित मीटिंग में लिए गए

निर्णयानुसार खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 13 ( ) खा.वि./ आंवटन/2013 दिनांक 19.06.2013 के माध्यम से प्राप्त निर्देश की पालना में उत्तराखण्ड राज्य को निगम द्वारा राशि रूपए 1.89 करोड की खाद्य सामग्री आपूर्ति की गई है।

12. विकेन्द्रीकृत उपापन योजनान्तर्गत (DCP) अलवर जिले में रबी विपणन वर्ष 2013–14 में गेहूँ खरीद :–

राज्य में किसानों को खाद्यान्न उत्पादन का उचित मूल्य मिले, इस हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय पूल में खरीद किये जा रहे गेहूँ की भाँति रबी विपणन वर्ष 2013–14 में प्रायोगिक तौर पर पॉयलेट परियोजनान्तर्गत अलवर जिले में गेहूँ खरीद का कार्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य दिनांक 28.03.2013 को सम्पन्न अनुबन्ध के तहत राजस्थान सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा **''राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम जयपुर''** को आवंटित किया गया। इस वृहद कार्य के लिए निगम को नोडल एजेन्सी, राजफैड को निगम के मार्फत गेहूँ खरीद करने हेतु एजेन्सी, गेहूँ खरीद तथा राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम को भंडारण एजेन्सी नियुक्त किया गया। जिलें में गेहूँ खरीद हेतु 35 क्रय केन्द्रों की स्थापना की गई। इन क्रय केन्द्रों पर दिनांक 10.04.2013 से 15.06.2013 की अवधि में 54,936.9 मैट्रिक टन गेहूँ की खरीद सम्पन्न हुई।

13.1 किसानों का पंजीयन

अलवर जिलें में किसानों द्वारा क्षेत्र में की गई बुवाई तथा संभावित बुवाई क्षेत्र में गेहूँ के उत्पादन का आंकलन करने किसानों का पंजीयन करने का निर्णय लिया गया। निगम द्वारा 4.00 लाख किसान पंजीयन फार्म छपवाये गये। किसानों को तुरन्त ऑन–लाईन उनकी उपज का भुगतान करने हेतु गेहूँ खरीद का प्रोजक्ट तैयार करने बाबत निगम द्वारा एन.आई.सी. का सहयोग लिया गया। इस निमित NIC को निगम द्वारा 22.44 लाख का भुगतान किया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद की किसानों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने बाबत जिलें में 472 ग्राम पंचायतों को रूपये 2000/– प्रति ग्राम पंचायत की दर से राशि रूपये 9,44,000/– जिला कलेक्टर, अलवर की अभिशंषा पर निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये। इसके अतिरिक्त 150 कम्प्यूटर ऑपरेटरों की सेवाऐं भी किसानों के पंजीयन तथा जिले के 35 खरीद केन्द्रों पर ली गई।

13.2 वित्तीय सहायता

किसानों से गेहूँ खरीद हेतु समर्थन मूल्य एवं राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप धोषित बोनस रूपये 150/– प्रति क्वि. की दर से तथा खरीद पर व्यय किये जाने वाले आनुषांगिक प्रभार स्वरूप जैसे मंडी टैक्स, मंडी लेबर चार्जेज, परिवहन व्यय इत्यादि मद में व्यय होने वाली राशि के अतिरिक्त बारदाना क्रय हेतु शत प्रतिशत राशि निगम द्वारा "राजफैड" को अग्रिम रूप में उपलब्ध करायी गई।

13.3 भण्डारण व्यवस्था

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद किये गये गेहूँ के भंडारण हेतु राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम (भण्डारण एजेंन्सी) से निगम द्वारा अलवर एवं अलवर जिले के आसपास जिलों में 1,11,200 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों को एक वर्षीय आरक्षण पद्धति के तहत दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि के लिए भारत सरकार अथवा राज्य भंडार व्यवस्था निगम की दर/शर्तों (इनमें से जो भी कम हो) पर आरक्षित कराया गया। वर्तमान में भारत सरकार की एक वर्षीय गोदाम आरक्षण दर रूपये 2.92 प्रति 50 किलोग्राम (5.84 प्रति क्विंटल) प्रतिमाह है। निगम द्वारा आरक्षित कराये गये गोदामों एवं उनमें संग्रहित खाद्यान्न (गेहूँ) का विवरण निम्न सारणी में प्रदर्शित किया जा रहा है:–

(मात्रा मै.टन में)

क्र.स.	आरक्षित गोदाम	भंडारण क्षमता	संग्रहित खाद्यान्न की मात्रा
1.	अलवर (डाइमेन्सन) एम. आई. ए.	80,000	27,985.95
2.	अलवर	20,000	21,639.55
3.	भरतपुर	2,800	850.10
4.	बयाना	1,500	–
5.	नदबई	2,900	3,025.65
6.	बांदीकुई	600	–
7.	लालसोट	1,000	–
8.	एम.एम. रोड़	300	335.80
9.	हिण्डौन सिटी	1,000	–
10.	खैरथल	1,100	1,099.85
	योग	**1,11,200**	**54,936.90**

13.4 भारत सरकार की गेहूँ निर्गमन दर रूपये 2.00 प्रति किलो की दर से डीसीपी योजना में उठाव किये गये गेहूँ तथा निगम के खाते में विभिन्न के.वी.एस.एस. द्वारा जमा करायी गयी राशि का विवरण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत पात्र परिवारों को डी.सी.पी. योजनान्तर्गत क्रय किये गये गेहूँ के उठाव पर भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा उनके पत्र क्रमांकः 1–8/2013–BP-III दिनांक 26.09.2013 के द्वारा रूपये 2.00 प्रति किलो की दर से गेहूँ निर्गमन दर निर्धारित की गई है। माह अक्टूबर तथा नवम्बर, 2013 में अलवर जिलें में विकेन्द्रीकृत योजना के तहत जिले के पात्र परिवारों को लाभान्वित करने हेतु उठाव किये गये गेहूँ तथा निगम के खाते में जमा करायी गयी राशि का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	योजना	माह अक्टूबर, 2013		माह नवम्बर, 2013		गेहूँ का अन्तिम स्टॉक (मै. टन में)
		उठाव (मै. टन में)	जमा राशि (लाख में)	उठाव (मै. टन में)	जमा राशि (लाख में)	
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत	10675.000	213.50	10675.000	213.50	43126.900
2.	अन्त्योदय	1135.000	22.70	1135.000	22.70	31316.900
	योग	**11810.000**	**236.20**	**11810.000**	**236.20**	

नोटः–गेहूँ के अन्तिम स्टॉक में स्टोरेज गेन की मात्रा सम्मिलित नहीं की गई है।

13.5 भारत सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान की स्थिति

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांकः 16 (5) 2011–Py-1 दिनांक 28.03.2013 द्वारा राज्य सरकार के मध्य भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में पात्र परिवारों को लाभान्वित करने हेतु राज्य में रबी विपणन वर्ष 2013–14 में विकेन्द्रीकृत योजना के तहत कृषकों से सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदने बाबत अनुबन्ध सम्पादित किया गया। उक्त अनुबन्ध के तहत राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने "राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर" को अलवर जिलें में डी.सी.पी. योजनान्तर्गत गेहूँ खरीदने हेतु "नोडल एजेन्सी" नियुक्त किया गया। अनुबन्ध के तहत अनुदान राशि का पुनर्भरण भारत सरकार से प्राप्त किये जाने का प्रावधान रखा गया।

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रंमाकः 192 (2) 2013–FC A/cs दिनांक 08.05.2013 द्वारा रबी विपणन वर्ष 2013–14 के लिए गेहूँ की खरीद एवं उस पर किये जाने वाले खर्चों के पुनर्भरण के लिए "प्रोविजनल इकोनोमिक कास्ट" (PEC) की स्वीकृति प्रदान की गई। इन प्रोविजनल दरों पर निगम द्वारा भारत सरकार से माह अक्टूबर, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक की अवधि में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एवं अन्त्योदय योजना के तहत पात्र परिवारों को लाभान्वित करने हेतु किये जा रहे गेहूँ वितरण का 90% अग्रिम प्रथम तिमाही का अनुदान बिल संख्या–1 दिनांक 08.11.2013 राशि रूपये 47,24,31,415.00 (47.24 करोड़ रूपये) का प्रस्तुत किया गया, जिसका निगम को पुनर्भरण प्राप्त होना शेष है। इसी भांति द्वितीय तिमाही का अग्रिम बिल माह जनवरी, 2014 में प्रस्तुत किया जावेगा।

13.6 रबी विपणन वर्ष 2014–15 में डी.सी.पी. योजनान्तर्गत अलवर जिले का चयन

भारत सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य दिनांक 28.03.2013 को संपादित अनुबन्ध के तहत "राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर" को राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य के छः जिलों क्रमशः अलवर, बॉरा, बूंदी, कोटा, हनुमानगढ़ तथा श्रीगंगानगर में भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी विपणन वर्ष 2014–15 में डी.सी.पी. योजना के तहत गेहूँ की खरीद की जानी थी, परन्तु निगम के पास पर्याप्त संसाधन एवं स्टॉफ की उपलब्धता नहीं होने के फलस्वरूप राज्य सरकार ने वर्ष 2013–14 की भांति 2014–15 के लिए केवल अलवर जिलें में ही गेहूँ खरीद का निर्णय लिया गया। राज्य के अन्य जिलों में केन्द्रीय पूल के तहत गेहूँ खरीद का उत्तरदायित्व भारतीय खाद्य निगम का है।

परिशिष्ट–(1)

दिसम्बर 2013 को कार्यरत उचित मूल्य की दुकानों की जिलेवार स्थिति

क्र.सं.	नाम जिला	उचित मूल्य दुकानों की श्रेणीनुसार स्थिति						
		शहरी		ग्रामीण		कुल		
		सहकारी	निजी	सहकारी	निजी	सहकारी	निजी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अजमेर	33	468	119	525	**152**	**993**	**1145**
2	अलवर	19	152	83	843	**102**	**995**	**1097**
3	बांसवाडा	2	48	100	493	**102**	**541**	**643**
4	बांरा	9	74	17	480	**26**	**554**	**580**
5	बाडमेर	2	105	205	740	**207**	**845**	**1052**
6	भरतपुर	29	418	48	395	**77**	**813**	**890**
7	भीलवाडा	29	112	306	403	**335**	**515**	**850**
8	बीकानेर	30	273	64	456	**94**	**729**	**823**
9	बून्दी	3	92	47	269	**50**	**361**	**411**
10	चित्तौडगढ	11	98	92	552	**103**	**650**	**753**
11	चूरू	10	217	122	596	**132**	**813**	**945**
12	दौसा	6	64	81	584	**87**	**648**	**735**
13	धौलपुर	23	72	45	307	**68**	**379**	**447**
14	डूँगरपुर	3	43	110	392	**113**	**435**	**548**
15	गंगानगर	42	186	138	335	**180**	**521**	**701**
16	हनुमानगढ	42	174	28	432	**70**	**606**	**676**
17	जयपुर	45	715	816	234	**861**	**949**	**1810**
18	जैसलमेर	4	24	31	262	**35**	**286**	**321**
19	जालौर	6	54	132	428	**138**	**482**	**620**
20	झालावाड	5	86	55	454	**60**	**540**	**600**
21	झुन्झुनू	5	153	67	559	**72**	**712**	**784**
22	जौधपुर	203	305	275	654	**478**	**959**	**1437**
23	करोली	4	76	75	434	**79**	**510**	**589**
24	कोटा	34	296	64	254	**98**	**550**	**648**
25	नागौर	6	204	88	939	**94**	**1143**	**1237**
26	पाली	11	151	200	420	**211**	**571**	**782**
27	प्रतापगढ़	1	27	52	267	**53**	**294**	**347**
28	राजसमन्द	7	46	79	369	**86**	**415**	**501**
29	सीकर	2	237	75	586	**77**	**823**	**900**
30	सिरोही	5	67	62	288	**67**	**355**	**422**
31	सवाई माधोपुर	2	95	18	457	**20**	**552**	**572**
32	टोंक	1	109	60	388	**61**	**497**	**558**
33	उदयपुर	26	302	186	765	**212**	**1067**	**1279**
	योग	**660**	**5543**	**3940**	**15560**	**4600**	**21103**	**25703**

परिशिष्ट–(2)

राज्य को प्राप्त खाद्यान्न का पिछले पॉच वर्ष का मासिक आवंटन व उठाव

1. गेहूँ एपीएल

(मात्रा मै.टन में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2009–10	772320	757473	98.08
2	2010–11	772320	762178	98.69
3	2011–12	772320	733834	95.02
4	2012–13	772320	752748	97.47

अप्रेल 2013 से सितम्बर 2013 की अवधि में

क्र.स.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल,13	64360	60860	94.56
2	मई, 13	64360	63962	99.38
3	जून, 13	64360	61282	95.22
4	जुलाई,13	64360	63264	98.30
5	अगस्त,13	64360	62152	96.57
6	सितम्बर,13	64360	63983	99.41
	योगः–	**386160**	**375503**	**97.24**

2. गेहूँ बीपीएल

(मात्रा मै.टन में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2009–10	629532	618503	98.25
2	2010–11	629532	627423	99.66
3	2011–12	629532	606949	96.41
4	2012–13	629532	621164	98.67

अप्रेल 2013 से सितम्बर 2013 की अवधि में

क्र.स.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल,13	52461	51903	98.94
2	मई, 13	52461	52414	99.91
3	जून, 13	52461	52360	99.81
4	जुलाई,13	52461	52461	100.00
5	अगस्त,13	52461	52431	99.94
6	सितम्बर,13	52461	52329	99.75
	योगः–	**314766**	**313893**	**99.72**

3. गेहूँ अन्त्योदय अन्न योजना

(मात्रा मै.टन में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2009–10	391488	383830	98.04
2	2010–11	391488	383770	98.03
3	2011–12	391488	385041	98.35
4	2012–13	391488	383200	97.88
अप्रेल 2013 से सितम्बर 2013 की अवधि में				
क्र.स.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल,13	32624	31825	97.55
2	मई, 13	32624	32178	98.63
3	जून, 13	32624	32038	98.20
4	जुलाई,13	32624	32053	98.25
5	अगस्त,13	32624	32149	98.54
6	सितम्बर,13	32624	32226	98.78
	योगः–	**195744**	**192469**	**98.33**

4. गेहूँ अन्नपूर्णा योजना

(मात्रा मै.टन में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2009–10	11521	10968	95.20
2	2010–11	12635	11895	94.14
3	2011–12	10793	9475	87.78
4	2012–13	11818	9440	79.88

अप्रेल 2013 से सितम्बर 2013 की अवधि में (मात्रा क्विंटल में)

क्र.स.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल,13	10529.3	3010.84	28.59
2	मई, 13	10529.3	2970.48	28.21
3	जून, 13	10529.3	3342.88	31.75
4	जुलाई,13	10529.3	3225.64	30.63
5	अगस्त,13	10529.3	3213.77	30.52
6	सितम्बर,13	10529.3	4400.17	41.79
	योगः–	**63175.8**	**20163.78**	**31.92**

5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आवंटन–उठाव की सूचना

(मात्रा मै.टन में)

क्र. सं.	माह	अन्त्योदय परिवार			अन्य पात्र परिवार		
		आवंटन	उठाव	प्रतिशत	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अक्टूबर,13	32499	32041	98.59	187326	183507	97.96
2	नवम्बर 13	32499	32107	98.79	192177	185560	96.56
3	दिसम्बर 13	32499	31578	97.17	192177	188437	98.05

परिशिष्ट–(3)

योजनावार लाभार्थियों/परिवारों का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	एपीएल परिवार	बीपीएल परिवार	स्टेट बीपीएल परिवार	अन्त्योदय परिवार	अन्नपूर्णा लाभार्थी
1	अजमेर	548126	41891	44491	26483	4078
2	अलवर	600204	49858	46271	32424	1872
3	बांसवाडा	149367	90770	67195	61577	3724
4	बारां	198675	22492	30157	42327	5229
5	बाडमेर	449847	99738	40055	32392	3674
6	भरतपुर	444735	53367	27617	20194	1855
7	भीलवाडा	492477	65596	56029	43099	4355
8	बीकानेर	464979	92731	39701	23625	5336
9	बूंदी	204865	29360	30076	18851	786
10	चित्तौडगढ	312961	29499	54555	50901	1402
11	चूरू	359261	69460	32274	30000	4126
12	दौसा	310835	49446	16182	16872	837
13	धौलपुर	229709	24678	14537	13740	2025
14	डूँगरपुर	103118	98122	49602	52426	5014
15	श्रीगंगानगर	482213	73783	19257	17566	554
16	हनुमानगढ	412538	48816	22041	18031	3324
17	जयपुर	1387122	79607	42800	27861	1720
18	जैसलमेर	126597	20108	11843	8075	2893
19	जालौर	321700	57539	32553	32936	3200
20	झालावाड	287834	37710	32688	23062	2342
21	झूँझनूँ	442864	16115	18101	12314	2722
22	जोधपुर	693526	84089	18074	15695	5067
23	करौली	224694	49139	28478	26051	2833
24	कोटा	407888	56500	24134	18299	2920
25	नागौर	693410	51249	37369	24398	10456
26	पाली	425965	50747	32081	26746	2755
27	प्रतापगढ	108706	43148	29309	25774	885
28	राजसमन्द	211094	46885	23250	28360	2006
29	सीकर	448945	32918	19431	13639	2851
30	सिरोही	254747	23645	22444	15128	1319
31	सवाईमाधोपुर	245153	32499	33941	21975	6600
32	टोंक	251478	23623	34220	26324	2497
33	उदयपुर	491598	182024	93489	84956	4036
	योग	**12787231**	**1827152**	**1124245**	**932101**	**105293**

परिशिष्ट–(4)

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी का अधिनियम के क्षेत्राधिकार में ली जाने वाली सेवाएं, अवधि एवं उनके लिए निर्धारित किये जाने वाले पदाभिहित अधिकारी/सहायक पदाभिहित अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी

विभाग का नाम – खाद्य,नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राज. जयपुर।

क्र. सं.	विभाग की गतिविधियां/सेवाएं जो प्रस्तावित अधिनियम की परिधि में ली जानी है।	सेवा प्रदान करने की समयावधि	पदाभिहित अधिकारी	सहायक पदाभिहित अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	विशेष टिप्पणी, यदि कोई हो
	नये राशनकार्ड बनाने हेतु						
1.	जिला मुख्यालय का नगरपालिका क्षेत्र	आवेदन प्राप्ति से 7 दिवस	जिला रसद अधिकारी	––	जिला कलक्टर	प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग (मुख्यालय)	
2.	शेष नगरपालिका क्षेत्र में		नगरपालिका बोर्ड का अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त				
3.	ग्रामीण क्षेत्र के लिए		विकास अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति अधिकारी				
4.	राज्य सरकार द्वारा अधिकृत		राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी				

परिशिष्ट–(5)

राज्य को प्राप्त लेवी चीनी का पिछले पॉच वर्ष का मासिक आवंटन व उठाव

(मात्रा मै.टन में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2009–10	94583	36263	38.34
2	2010–11	94629	76112	80.43
3	2011–12	94692.7	35423.92	37.41
4	2012–13	95683.5	88901.45	92.91

अप्रेल 2013 से दिसम्बर 2013 की अवधि में (अनंतिम सूचना)

क्र.स.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल,13	7058.60	7055.60	99.96
2	मई, 13	7058.60	967.20	13.70
3	जून, 13	7342.00	7342.00	100.00
4	जुलाई,13	7342.00	7342.00	100.00
5	अगस्त,13	7342.00	7342.00	100.00
6	सितम्बर,13 त्यौहारी कोटा	7342.00 5092.00	7342.00 5092.00	100.00 100.00
7	अक्टूबर,13	7342.00	7342.00	100.00
9	नवम्बर 13	7342.00	7342.00	100.00
10	दिसम्बर 13	7342.00	7342.00	100.00
	योगः–	**70603.2**	**64508.8**	**91.37**

परिशिष्ट–(6)

राज्य को प्राप्त केरोसीन का पिछले पॉच वर्ष का मासिक आवंटन व उठाव

(मात्रा के.एल में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2009–10	511983	512420	100.09
2	2010–11	511632	509276	99.54
3	2011–12	511332	507648	99.28
4	2012–13	510312	500249	98.03

अप्रेल 2013 से दिसम्बर 2013 की अवधि में

क्र.स.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल,13	42396	42242	99.64
2	मई, 13	42396	42140	99.40
3	जून, 13	42396	41904	98.84
4	जुलाई,13	42396	41209	97.20
5	अगस्त,13	42396	37910	89.42
6	सितम्बर,13	42396	41856	98.73
7	अक्टूबर,13	42396	40974	96.65
9	नवम्बर 13	42396	38840	91.61
10	दिसम्बर 13	42396	37960	89.54
	योगः–	**381564**	**365035**	**95.67**

परिशिष्ठ–(7)

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की सूचना

क्र. स.	नाम	वर्ष में छापे मारे गये	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	अदालत में चालान प्रस्तुत किये गये	न्यायालय द्वारा दंडित किये गये व्यक्तियों की संख्या	जब्त किये माल की अनुमानित राशि (लाखों में)
1	2009–10	676	69	102	3	303.91
2	2010–11	447	34	168	76	193.33
3	2011–12	426	57	152	100	192.46
4	2012–13	229	28	212	132	126.51

अप्रेल 2013 से दिसम्बर 2013 की अवधि में

क्र. स.	नाम	माह में छापे मारे गये	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	अदालत में चालान प्रस्तुत किये गये	न्यायालय द्वारा दंडित किये गये व्यक्तियों की संख्या	जब्त किये माल की अनुमानित राशि (लाखों में)
1	अप्रेल,13	5	0	4	0	5.43
2	मई, 13	44	3	5	0	15.87
3	जून, 13	12	1	8	1	8.31
4	जुलाई,13	10	2	4	1	22.47
5	अगस्त,13	8	0	2	0	29.97
6	सितम्बर,13	23	2	6	0	7.91
7	अक्टूबर,13	7	3	3	0	64.27
8	नवम्बर 13	52	0	3	0	31.58
9	दिसम्बर 13	36	2	10	9	23.32
	योगः–	**197**	**13**	**45**	**11**	**209.13**

परिशिष्ट–(8)

वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 का वास्तविक व्यय तथा वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 का बजट प्रावधान

(राशि लाखों में)

व्यय बजट शीर्ष/उपशीर्ष	वास्तविक व्यय 2011–12	वास्तविक व्यय 2012–13	मूल प्रावधान 2012–13	संशो. प्रावधान 2012–13	बजट प्रावधान 2013–14
(मॉग संख्या 32) 3456–नागरिक आपूर्ति, 001–निदेशन एवं प्रशासन, (01) खाद्य आयुक्त के माध्यम से:–					
[01] मुख्यालय कर्मचारी वर्ग (आयो.भिन्न.)	333.62	321.14	373.83	334.05	374.53
[02] जिला कर्मचारी वर्ग (आ.भि.)	1697.47	1520.71	1897.75	1683.42	1909.78
[02] प्रभृत व्यय (आ.भि.)	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01
[03] उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ (आ.भि.)	1305.02	1437.27	1415.96	1488.57	1655.15
[04] उपभोक्ता मामले निदेशालय (आ.भि.)	7.47	9.80	9.47	10.97	11.97
[06] उपभोक्ता जागरूकता विज्ञापन (आ.भि.)	0.00	56.05	0.00	56.05	10.00
योग (दत्तमत)	**3343.58**	**3344.97**	**3697.01**	**3573.06**	**3961.43**
योग (प्रभृत)	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.02**	**0.01**
आयोजना भिन्न मद की योजनाऐं:–					
3456–नागरिक आपूर्ति, 102–सिविल पूर्ति योजना,(02) खाद्यान्न वितरण :–					
[01]–91 अन्त्योदय अन्न योजना	2466.32	2429.84	2425.00	2682.46	2799.00
[02]-91 मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजनान्तर्गत बी. पी.एल. अन्न योजना	15387.79	18479.61	15500.00	18555.81	18324.99
[03]-91 मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजनान्तर्गत स्टेट बीपीएल अन्न योजना	7394.01	10214.98	8400.00	10383.22	9991
[04]-91 फूड स्टेम्प योजना	1.27	0.16	31.00	10.75	12.25
[05]-91 सहरिया–कथौडी अन्न योजना	0.00	224.85	260.00	260.00	265.00
[06]-91 एपीएल अन्न योजना	0.00	0.00	0.01	9.00	1.00
3456–102–03–00–28 चल प्रयोगशाला	27.98	44.15	94.00	79.06	0.01
3456–102–01–02–53 केरोसीन समानीकरण राशि का भुगतान	340.4	404.28	388.01	448.00	0.01
योग (आ.भि. योजनाऐं)	**25617.77**	**31797.87**	**27098.02**	**32428.30**	**31393.26**
आयोजना मद की योजनाऐं:–					
अन्नपूर्णा योजना:–					
3456-102-(01)-[04]-12	323.98	268.56	476.96	326.96	421.68
3456-102-(01)-[04]-62	15.00	0	15.00	15.00	15
3456-789-(01)-[01]-12	74.21	101.5	116.12	116.12	102.96
3456-789-(01)-[01]-62	4.00	0	4.00	4.00	4

3456-796-(01)-[01]-12	59.89	63.41	84.42	84.42	75.36
3456-796-(01)-[01]-62	3.50	0	3.50	3.50	3.5
योग (अन्नपूर्णा)	**480.58**	**433.47**	**700.00**	**550.00**	**622.50**
राशन टिकट योजनाः–					
3456-102-(01)-[07]-39	45.69	64.87	35.14	70.28	70.28
3456-789-(01)-[02]-39	11.15	12.34	8.58	17.16	17.16
3456-796-(01)-[02]-39	8.16	8.65	6.28	12.56	12.56
योग (राशन टिकट योजना)	**65.00**	**85.86**	**50.00**	**100.00**	**100.00**
कुष्ठ रोग से मुक्त अन्न योजनाः–					
3456-102-(02)-[07]-91	0.00	0.47	350.00	35.14	140.56
3456-789-(01)-[05]-91	0.00	0.11	150.00	8.58	34.32
3456-796-(01)-[05]-91	0.00	0.14	100.00	6.28	25.12
योग (कुष्ठ रोग से मुक्त अन्न योजना)	**0.00**	**0.72**	**600.00**	**50.00**	**200.00**
5475-102-(09)-[00]-17 उपभोक्ता संरक्षण के तहत राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का आधुनिकीकरण –वृहद निर्माण कार्य (आयोजना)	27.89	2.14	0.01	2.15	0.01
3456-00-102-(04)-[00]-91 घरेलू गैस सिलेण्डर पर सब्सिडीः–					
3456-102-04-00-91	8581.68	8546.83	8785.00	8785.00	8785.00
3456-789-01-05-91	0.00	2145.00	2145.00	2145.00	2145.00
3456-796-01-05-91	0.00	1570.00	1570.00	1570.00	1570.00
योग (घरेलू गैस पर सब्सिडी)	**8581.68**	**12261.83**	**12500.00**	**12500.00**	**12500.00**
समर्थन मूल्य पर गेंहूँ खरीद पर बोनस					
3456-102-01-02-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
3456-789-01-07-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
3456-796-01-07-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
योग(गेंहूँ खरीद)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.03**
3456-190-(01)-[00]-12 गेंहूँ खरीद के समर्थन मूल्य पर बोनस (आयो.)	700.00	18923.84	0.00	19300.00	0.00
नए राशन कार्डों का कम्प्यूटराईजेशन एवं डिजिटाईजेशन					
3456–102–01–08–62	0.00	74.74	351.40	380.75	116.07
3456–789–01–03–62	0.00	153.24	85.80	246.00	28.33
3456–796–01–03–62	0.00	22.63	62.80	110.00	20.74
योग(राशन कार्ड)	**0.00**	**250.61**	**500.00**	**736.75**	**165.14**
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन					
3456–102–02–08–62	0.00	338.79	0.00	338.79	79.67
3456–789–01–06–62	0.00	82.72	0.00	82.72	38.3
3456–796–01–06–62	0.00	60.55	0.00	60.55	28.03
योग(ल.सा.वि.प्र.कम्प्यू.)	**0.00**	**482.06**	**0.00**	**482.06**	**146.00**

3456-190-(01)-[00]-12 राज.राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को सहायतार्थ अनुदान	0.00	0	0.01	0.00	0.01
5475-190-(03)-[00]-73 रा.रा.ना.आ.नि.लि. में पूँजी विनियोजन	0.00	0	0.01	0.01	0.01
7475-190-(01)-[00]-00 रा.रा.ना.आ.नि.लि. को उधार	0.00	5510.32	0.01	5510.33	0.01
अतिरिक्त घरेलू गैस सिलेण्डर पर बोनस					
3456–102–05–00–91	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
3456–789–01–07–91	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
3456–796–01–07–91	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
योग (अति.गैस पर बोनस)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.03**	**0.03**
महा योग (आयोजना मद की योजनाऐं)	**9855.15**	**37950.85**	**14350.04**	**39231.33**	**13733.74**
केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं:–					
3456-001-(01)-[03]-28 उपभोक्ता मंचों का सुदृढीकरण	2.53	0.00	0.01	0.01	0.01
5475-102-(09)-[00]-72 उपभोक्ता संरक्षण के तहत राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का आधुनिकी. सुदृढी., नवीनी. एवं उन्नयन व्यय (के.प्र.यो.)	36.68	5.90	57.85	8.00	11.00
5475–102–09–00–17 राज्य आयोग का भवन निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
3456-001-(01)-[06]-11 उपभोक्ता जागरूकता हेतु सहायता (के.प्र.यो.)	29.38	9.20	0.01	11.95	0.01
3456–001–01–05 (05 व 62) उपभोक्ता हेल्प लाईन की स्थापना	12.17	13.92	22.73	26.68	22.73
योग (केन्द्र प्रवर्तित योजना)	**80.76**	**29.02**	**80.60**	**46.64**	**33.76**

वर्ष 2011–12 व 2012–13 की वास्तविक आय तथा वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के बजट प्रावधान का विवरण

राजस्व बजट शीर्ष/उपशीर्ष	वास्तविक आय 2011–12	वास्तविक आय 2012–13	मूल प्रावधान 2012–13	संशोधित प्रावधान 2012–13	मूल प्रावधान 2013–14
1475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियॉ, 800 अन्य प्राप्तियॉ :–					
01–नगरीय रसद विभागों से प्राप्तियां	4.44	10.76	40.00	0.85	1.00
02–विभिन्न लाइसेंसों से प्राप्तियां	12.95	29.44	0.90	20.00	15.00
03–सीमेंट आपूर्ति एवं अन्य से प्राप्तियां	0.22	0.00	4.00	0.01	0.20
04–अन्य विविध –01विविध	507.07	43.05	1401.81	114.00	117.00
04–अन्य विविध–02–खाद्य विभाग के माध्यम से	1571.85	1050.34	200.00	800.00	600.00
05–परिवहन समानीकरण से प्राप्तियां	186.35	216.72	500.00	55.00	118.84
06–अंतर राशि से प्राप्तियॉ–01–खाद्यान्न	41.38	17.32	50.00	25.00	25.00
06–अंतर राशि से प्राप्तियॉ–02–केरोसीन	34.68	582.76	900.00	600.00	600.00
07–उप. संरक्षण के तहत जिला मंचों में परिवाद दायर करने हेतु फीस	0.03	0.54	0.01	0.01	0.01
कुल आय	**2358.97**	**1950.93**	**3096.72**	**1614.87**	**1477.05**

परिशिष्ट–(9)

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

प्रशासनिक संरचना

राज्य स्तर

मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं पदेन आयुक्त
(1)

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन निदेशक, उपभोक्ता मामले
(1)

उपायुक्त एवं पदेन उप शासन सचिव / उपायुक्त (खाद्य) (2)	उपायुक्त खाद्य / सहायक आयुक्त (1)	सहायक निदेशक (सांख्यिकी) (1)	उप विधि परामर्शी (1)	वित्तीय सलाहकार (1)

सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी (1)	जिला रसद अधिकारी (सतर्कता) / (उपभोक्ता मामले) / (प्रोक्योरमेन्ट) (3)	लेखाधिकारी (2)	सहायक लेखाधिकारी (1)
प्रशासनिक अधिकारी (1)	प्रवर्तन अधिकारी (2)		प्रवर्तन निरीक्षक (2)

संभाग स्तर

संभागीय आयुक्त (मुख्यालय)
(7)

संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी (जिला रसद अधिकारी ग्रेड–III)
(7)

प्रवर्तन अधिकारी (संभागीय आयुक्त कार्यालय)
(7)

जिला स्तर

जिला कलक्टर्स रसद (33)

जिला रसद अधिकारी (सतर्कता) संभाग जिला मुख्यालय (7)	जिला रसद अधिकारी (शहर) (33)	जिला रसद अधिकारी (ग्रामीण) संभाग जिला मुख्यालय (7)	जिला रसद अधिकारी (रिट्स) संभाग जिला मुख्यालय जयपुर एवं जौधपुर (2)

अतिरिक्त जिला रसद अधिकारी
जयपुर एवं जोधपुर (2)

प्रवर्तन अधिकारी (103)

प्रवर्तन निरीक्षक (253)

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन एवं क्रियान्वयन
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का क्रियान्वयन
- उपभोक्ता संरक्षण हेतु प्रभावी प्रयास

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर